उद्यान निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सामान्य अनुदेश

वित्तीय वर्ष 2023–24 में उद्यान निदेशालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना मद से कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुछेक अनुदेश ऐसे हैं, जो सभी योजनाओं पर लागू होंगी तथा कुछेक अनुदेश योजना विशेष के लिए अनुमान्य होंगे। स्वीकृत योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश इसके साथ संलग्न है। उद्यान निदेशालय द्वारा विभागीय स्वीकृति के आलोक में मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद अधिक फसल
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संरक्षित खेती योजना
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रोजनीबाग सुदृढ़ीकरण योजना
5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना
6. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना
7. सब्जी विकास योजना
8. मखाना विकास योजना
9. चाय विकास योजना
10. पान विकास योजना
11. एकीकृत उद्यान विकास योजना
12. सात निश्चय – 2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु सामूहिक नलकूप योजना
13. मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम
14. फसल विविधीकरण योजना

उद्यान निदेशालय संबंधित उपरोक्त स्वीकृत योजनाएं एवं वैसी योजना, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है, के कार्यान्वयन से संबंधित सामान्य अनुदेश निम्न प्रकार है :–

1. **लाभुक की पात्रता** :– उद्यान निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

3. योजनाओं का लाभ पात्रता रखने की शर्त्त पर **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर देय होगा।

4. योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति–पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।

5. वैसी योजना, जिसके लिए भूमि का होना आवश्यक है, का लाभ लेने के लिए लाभुक कृषक के नाम से जमीन होना/वंशावली के आधार पर उक्त जमीन कृषक के पास होना आवश्यक होगा परंतु कुछ विशिष्ट योजना की प्रकृति के आधार पर गैर रैयत कृषक भी उक्त योजना का लाभ ले सकेंगे।

6. योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व का प्रमाण–पत्र/गैर रैयत हेतु एकरारनामा में से कोई एक दस्तावेज तथा योजना विशेष का लाभ लेने हेतु संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

7. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। प्रत्येक कोटि में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

8. योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा।

9. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर तथा परियोजना आधारित अवयवों का सत्यापन 10 (दस) दिनों के अन्दर करना आवश्यक होगा।

   उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।

10. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/स्वीकृति प्राधिकार द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।

11. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

12. भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/ लाभुक एवं सत्यापनकर्त्ता का Geo Tagged Photograph/ सत्यापन कार्य कराते हुए योजना विशेष संबंधित स्वीकृत्यादेश में निहित

प्रावधान के आलोक में समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में सभी योजनाओं के लाभुक का संबंधित योजनावार योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

14. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का ससमय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।

15. <u>सहायक निदेशक उद्यान का दायित्त्व</u>

15.1 जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।

15.2 योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।

15.3 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु ससमय लक्ष्य उपलब्ध करना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करना।

15.4 कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।

15.5 योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। **साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।**

15.6 CFMS/PFMS/RTGS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।

15.7 दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

15.8 जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का **10 प्रतिशत** निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन दर्ज करेंगे।

16. प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–

16.1 प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।

16.2 उप समिति की बैठक करना तथा सहायक निदेशक उद्यान के एजेंडों पर निर्णय एवं निदेश देना।

16.3 योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

16.4 CFMS/PFMS/RTGS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।

16.5 प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का 2 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

17. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) :–

17.1 प्रमंडल स्तर पर योजना की प्रगति का पर्यवेक्षण, समीक्षा एवं निरीक्षण करना।

18 योजना के नोडल पदाधिकारी का दायित्व :–

18..1 योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

18.2 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

18.3 योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।

18.4 योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

19. जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति का दायित्व

19.1 जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन करवायेंगे एवं योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे।

20. निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक :–

20.1 राज्य स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।

20.2 योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

21. **योजना का प्रगति प्रतिवेदन** :–

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस कार्यक्रम के प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये Online Software में प्रत्येक 15 दिनों पर निश्चित रूप से अपलोड किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में जिलावार Online Software Upload प्रतिवेदन ही मान्य होगा।

22. उद्यान निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वैसी योजनाएं, जिसे अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

"एकीकृत बागवानी विकास मिशन" (Mission for Integrated Development of Horticulture) की उपयोजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" का कार्यान्वयन अनुदेश

यह योजना विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 75 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा कुल 4608.75 लाख (केन्द्रांश 2400.00 लाख, राज्यांश 1600.00 लाख तथा टॉप–अप 608.75 लाख) रूपये की लागत पर राज्य के 23 जिलों यथा– अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में कार्यान्वित किया जाना है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची– 1, 2 एवं 3 द्वारा अवयववार स्वीकृत लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। अवयववार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कार्यान्वयन अनुदेश निम्नवत् है :–

1. **Plantation Infrastructure Development** :– इस घटक अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य रू० 319.50 लाख स्वीकृत है। इसके तहत 1 हे० की लघु नर्सरी स्थापना हेतु कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। लघु नर्सरी की कुल लागत राशि रू० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये होगी जिसपर 50 प्रतिशत के दर से रू० 7.50 लाख (सात लाख पच्चास हजार) रूपये ऋण संबद्ध बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में अनुदान देय है। लघु नर्सरी में वातायन युक्त प्राकृतिक ग्रीन हाउस और नेट हाउस निर्माण आवश्यक होगा। लघु नर्सरी में बारहमासी वानस्पतिक प्रजनन के तहत फलों/मसालों/सुगंधित पेड़ों इत्यादि के न्यूनतम 25,000 पौधे प्रति वर्ष का उत्पादन किया जा सकेगा। अनुदान की प्रथम किस्त सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद तथा द्वितीय किस्त परियोजना के व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ होने के बाद मिशन निदेशक द्वारा गठित संयुक्त जाँच दल की अनुशंसा के आलोक में देय होगा। इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अवयवों का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन के साथ ले–आउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस घटक का कार्यान्वयन राज्य स्तर से निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा State Level Executive Committee (SLEC) के अनुमोदनोपरान्त SLEC के द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त तीन विभागीय नर्सरी यथा प्रखंड उद्यान नर्सरी, हासपुरा, औरंगाबाद, प्रखंड उद्यान नर्सरी, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण एवं प्रखंड उद्यान नर्सरी, लक्ष्मीपुर, जमुई में प्रति प्लग टाईप नर्सरी शत–प्रतिशत अनुदान रू० 104.00 लाख (एक करोड़ चार लाख) रूपये की लागत से मानक प्राक्कलन अनुरूप निर्माण कराया जायेगा। उक्त तीनों प्लग टाईप नर्सरी का निर्माण कार्य राज्य स्तर से निदेशक उद्यान –सह– मिशन निदेशक द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के आलोक में कराया जायेगा।

2. **Establishment of New Garden (Area Expansion)** :– इस घटक के तहत् एग्जोटिक (Exotic) फल, नीश (Niche) फल, उच्च घनत्व वाले फल, टिश्यू कल्चर केला एवं पपीता का क्षेत्र विस्तार किया जाना है। इसके साथ ही पूर्व के वर्षों में स्थापित बागों का रख–रखाव किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षेत्र विस्तार पर 835.26 लाख (आठ करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार) रूपये तथा पूर्व के वर्षों में स्थापित बागों के रख–रखाव पर 323.72 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख बहत्तर हजार) रूपये व्यय किया जाना है। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है। नये बाग का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में आवेदन करने का न्यूनतम रकवा 0.10 हे० एवं अधिकतम रकवा 4 हे० होगा। नये बाग का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत GI Tag प्राप्त प्रजाति को विशेष क्षेत्र में यथासम्भव प्रमोट किया जायेगा। इस घटक का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कराया जायेगा। स्वीकृत उप घटकवार कार्यान्वयन अनुदेश निम्नवत् है :–

2.1 एग्जोटिक फल यथा ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार :–

2.1.1 स्ट्रॉबेरी :– स्ट्रॉबेरी के पौध रोपण सामग्री का क्रय किसान द्वारा स्वयं किया जायेगा। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए इकाई लागत 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत अर्थात 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एकमुश्त अनुदान वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त देय होगा।

2.1.2 ड्रैगन फ्रूट :– ड्रैगन फ्रूट के पौध रोपण सामग्री का क्रय किसान द्वारा स्वयं किया जायेगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए इकाई लागत 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत अर्थात 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर तीन किस्तों (सहायतानुदान का 60 प्रतिशत प्रथम किस्त, 20 प्रतिशत द्वितीय किस्त एवं शेष 20 प्रतिशत तृतीय किस्त) में देय होगा। प्रथम किस्त के रूप में सहायतानुदान का 60 प्रतिशत अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त देय होगा। द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष में

लगाये गये पौधे का 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में तथा तृतीय किस्त 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय होगा। किसान को अपने स्तर से बाग में गैप फिलिंग हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.2 **नीश क्रॉप (Niche Crop) का क्षेत्र विस्तार** :– इस उप घटक अन्तर्गत नीश क्रॉप यथा आँवला, जामुन एवं कटहल का क्षेत्र विस्तार किया जाना है। इसके तहत प्रति हेक्टेयर का इकाई लागत 0.60 लाख (साठ हजार) रूपये का 50 प्रतिशत अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर तीन किस्तों (सहायतानुदान का 60 प्रतिशत प्रथम किस्त, 20 प्रतिशत द्वितीय किस्त एवं शेष 20 प्रतिशत तृतीय किस्त) में देय होगा। प्रथम किस्त के रूप में सहायतानुदान का 60 प्रतिशत अर्थात 0.18 लाख (अट्ठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त दिया जायेगा। द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधे का 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में तथा तृतीय किस्त 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय होगा। किसान को अपने स्तर से बाग में गैप फिलिंग हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस उप घटक हेतु पौध रोपण सामग्री सरकारी संस्थान/विभागीय नर्सरी/विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/एन.एच.बी. एक्रेडिटेड नर्सरी के माध्यम से संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3 **कॉस्ट इन्टेंसिव (Cost Intensive) फलों का क्षेत्र विस्तार** :– इस उपघटक अन्तर्गत टिश्यु कल्चर केला एवं पपीता का क्षेत्र विस्तार किया जाना है। गैर–रैयत कृषक भी इस उप घटक का लाभ ले सकते हैं।

2.3.1 **टिश्यू कल्चर केला** :– इसके अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 0.625 लाख (बासठ हजार पाँच सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान दो किस्तों में देय है। प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत यानि 0.46875 लाख (छियालीस हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये प्रति हेक्टेयर केला के बगान लगाने के सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिया जायेगा। द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय होगा। किसान को अपने स्तर से बाग में गैप फिलिंग हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

उक्त हेतु पौध रोपण सामग्री राज्य स्तरीय निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनी से संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3.2 **पपीता** के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 0.60 लाख (साठ हजार) रूपये का 75 प्रतिशत यानि 0.45 लाख (पैंतालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान दो किस्तों में देय है। प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत यानि 0.3375 लाख (तैंतीस हजार सात सौ पचास) रूपये प्रति हेक्टेयर पपीता के बगान लगाने के सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिया जायेगा। द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय होगा। किसान को अपने स्तर से बाग में गैप फिलिंग हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसित 2500 पौधा प्रति हेक्टेयर की दर से पौध सामग्री COE देसरी, वैशाली से चयनित कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

2.4 **उच्च घनत्व वाले फलों यथा आम एवं लीची का क्षेत्र विस्तार (High Density Planting)** :– इसके तहत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 1.00 लाख (एक लाख) रूपये का 50 प्रतिशत अर्थात 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर तीन किस्तों (सहायतानुदान का 60 प्रतिशत प्रथम किस्त, 20 प्रतिशत द्वितीय किस्त एवं शेष 20 प्रतिशत तृतीय किस्त) में देय होगा। प्रथम किस्त के रूप में सहायतानुदान का 60 प्रतिशत अर्थात 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त दिया जायेगा। द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधे का 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में तथा तृतीय किस्त 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय होगा। किसान को अपने स्तर से बाग में गैप फिलिंग हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस उप घटक हेतु पौध रोपण सामग्री सरकारी संस्थान/विभागीय नर्सरी/विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/एन.एच.बी. एक्रेडिटेड नर्सरी के माध्यम से संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2.5 **एक वर्ष के बागों का रख–रखाव (1st Year Maintenance)** :– इस उप घटक अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगाये गए पौधों – ड्रैगन फ्रूट, आँवला, टिश्यू कल्चर केला, आम, पपीता, अमरूद एवं लीची के

बागों के प्रथम वर्ष में रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में सहायतानुदान दिया जाना है। इससे संबंधित जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है।

बहुवर्षीय फलदार पौधों हेतु द्वितीय किस्त प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगाये गये पौधे का 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने तथा एक वर्षीय फलदार पौधों हेतु प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत जीवित रहने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2023–24 में देय होगा।

2.5.1 **ड्रैगन फ्रूट** के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में पौधे का 75 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.5.2 **आँवला** के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में पौधे का 75 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.06 लाख (छः हजार) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.5.3 **टिश्यू कल्चर** केला के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में पौधे का 90 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.625 लाख (बासठ हजार पाँच सौ) रूपये का 25 प्रतिशत अर्थात 0.15625 लाख (पन्द्रह हजार छः सौ पच्चीस) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.5.4 **पपीता** के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में पौधे का 90 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.45 लाख (पैंतालीस हजार) रूपये का 25 प्रतिशत अर्थात 0.11250 लाख (ग्यारह हजार दो सौ पच्चास) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.5.5 **आम, अमरूद एवं लीची** के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में पौधे का 75 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.6 **दो वर्ष के बागों का रख–रखाव (2nd Year Maintenance)** :– इस उप घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत लगाये गये आँवला, आम, अमरूद एवं लीची के बागों के रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में सहायतानुदान दिया जाना है।

बहुवर्षीय फलदार पौधों हेतु तृतीय किस्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के पश्चात देय होगा।

2.6.1 **आँवला** के बाग के रख–रखाव हेतु 2nd Year Maintenance के रूप में पौधे का 90 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.30 लाख (तीस हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.06 लाख (छः हजार) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

2.6.2 **आम, अमरूद एवं लीची** के बाग के रख–रखाव हेतु 2nd Year Maintenance के रूप में पौधे का 90 प्रतिशत जीवित रहने पर ही सत्यापनोपरान्त सहायतानुदान 0.50 लाख (पच्चास हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

3. **Mushroom** :– इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 21 इकाई तथा वित्तीय लक्ष्य रू० 207.50 लाख (दो करोड़ सात लाख पच्चास हजार) रूपये है। इसके तहत मशरूम उत्पादन (निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र), मशरूम कम्पोस्ट इकाई तथा मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई की स्थापना किया जाना है। उप घटकवार अनुदेश निम्नवत् है :–

3.1 **मशरूम उत्पादन इकाई** :– इस उप घटक अन्तर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मशरूम उत्पादन इकाई के निर्माण हेतु सहायतानुदान दिया जाना है।

3.1.1 **सार्वजनिक क्षेत्र** अन्तर्गत 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये की लागत से शत–प्रतिशत अनुदान पर मशरूम उत्पादन इकाई मानक प्राक्कलन के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली में कराया जायेगा। निर्माण कार्य राज्य स्तर से नोडल पदाधिकारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के तहत कराया जायेगा।

3.1.2 **निजी क्षेत्र** अन्तर्गत मशरूम उत्पादन इकाई की कुल लागत राशि रू० 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये प्रति इकाई है जिसपर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से रू० 10.00 लाख (दस लाख) रूपये ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 **मशरूम कम्पोस्ट इकाई (निजी क्षेत्र)** की कुल लागत राशि रू० 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये होगी, जिसपर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से रू० 10.00 लाख (दस लाख) रूपये ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3 **मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई (निजी क्षेत्र)** की कुल लागत राशि रू० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये है जिसपर 50 प्रतिशत की दर से रू० 7.50 लाख (सात लाख पच्चास हजार) रूपये ऋण संबद्ध बैक एण्डेड अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

मशरूम उत्पादन इकाई, मशरूम कम्पोस्ट इकाई एवं मशरूम स्पॉन निर्माण इकाई का लाभ लेने हेतु निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन के साथ मशरूम का दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र, ले–आउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत संस्थानों/उद्यान निदेशालय के अधीन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस/जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हीं मान्य होगा। इस घटक का कार्यान्वयन राज्य स्तर से निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा State Level Executive Committee (SLEC) के अनुमोदनोपरान्त SLEC द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

उपरोक्त तीनों अवयव में से कृषक द्वारा किसी एक का लाभ लिया जा सकेगा। साथ ही इन अवयवों का लाभ वैसे किसान, जो पिछले पाँच वर्षों में लिये हो, को देय नहीं होगा।

4. **Flowers** :– इस घटक अन्तर्गत गेंदा का 500 हेक्टेयर एवं ग्लेडियोलस का 70 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिसपर रू० 192.50 लाख (एक करोड़ बानवे लाख पच्चास हजार) रूपये व्यय किया जाना है। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है। इस घटक का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को ही दिया जायेगा।

उक्त घटकों के लिए फूल की खेती हेतु पौध सामग्री/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं अथवा सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। इस घटक का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कराया जायेगा।

फूल का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में आवेदन करने का न्यूनतम रकवा 0.10 हे० एवं अधिकतम रकवा 2 हे० होगा।

4.1 **गेंदा फूल** की खेती पर लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत राशि रू० 0.40 लाख (चालीस हजार) रूपये प्रति हे० पर 70 प्रतिशत की दर से रू० 0.28 लाख (अठाईस हजार) रूपये प्रति हे० एक मुश्त अनुदान वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2 **ग्लेडियोलस फूल** की कुल लागत राशि रू० 1.50 लाख (एक लाख पच्चास हजार) रूपये प्रति हे० 50 प्रतिशत की दर से रू० 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हे० एक मुश्त अनुदान वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. **Protected Cultivation and Front Line Demonstration (FLD)** :– इस घटक अन्तर्गत प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत 40,000 वर्ग मीटर एवं अग्रपंक्ति प्रदर्शन के तहत भौतिक लक्ष्य 20 इकाई एवं वित्तीय लक्ष्य रू० 535.88 लाख (पाँच करोड़ पैंतीस लाख अठासी हजार) रूपये निर्धारित है। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है। संरक्षित खेती में आवेदन करने का न्यूनतम रकवा 1,000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम रकवा 4,000 वर्ग मीटर होगा।

संरक्षित खेती एवं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन (एफ.एल.डी.) के कार्यान्वयन के लिए राज्य बागवानी मिशन द्वारा निविदा के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इच्छुक कृषक उद्यान निदेशालय के वेबसाईट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करते समय ड्रॉप डाउन मेनू में निबंधित कम्पनियों की सूची से किसी एक कम्पनियों का चयन कर सकते हैं। इन्हीं कम्पनियों के माध्यम से उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुदान का भुगतान निम्न प्रकार से तीन किस्तों में देय होगा :–

(क) फाउन्डेशन वर्क की समाप्ति एवं शेडनेट हाउस की सम्पूर्ण सामग्री कार्य स्थल पर उपलब्ध कराने के उपरान्त 25 प्रतिशत अनुदान राशि।

(ख) शेडनेट हाउस की सम्पूर्ण ढाँचा निर्माण एवं शेडनेट चढ़ाने के उपरान्त 35 प्रतिशत अनुदान राशि।

(ग) शेडनेट हाउस के पूर्णरूपेण निर्माण होने के बाद किसान को हैण्ड ओवर करने एवं उसमें पौध रोपण होने के पश्चात 40 प्रतिशत अनुदान राशि।

सब्जी की संरक्षित खेती को यथासंभव राज्य के प्रमुख शहर के आस–पास कलस्टर में बढ़ावा दिया जायेगा।

5.1 **संरक्षित खेती** में ग्रीन हाउस (पॉली हाउस), शेडनेट हाउस, पॉली हाउस में उच्च कोटि की सब्जी की खेती एवं पॉली हाउस/शेडनेट हाउस में कॉर्नेशन एवं जरबेरा फूल की खेती स्वीकृत है।

5.1.1 **ग्रीन हाउस (पॉली हाउस)** निर्माण की इकाई लागत भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के अनुरूप रू० 935.00 (नौ सौ पैंतीस) प्रति वर्ग मीटर है, जिसपर अनुदान 75 प्रतिशत की दर से रू० 701.25 (सात सौ एक रूपये पच्चीस पैसे) प्रति वर्ग मीटर अनुदान के रूप में कृषकों को देय होगा।

5.1.2 **शेडनेट हाउस** निर्माण की इकाई लागत भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के अनुरूप रू० 710.00 (सात सौ दस) प्रति वर्ग मीटर है, जिसपर अनुदान 75 प्रतिशत की दर से रू० 532.50 (पाँच सौ बत्तीस रूपये पच्चास पैसे) प्रति वर्ग मीटर अनुदान के रूप में कृषकों को देय होगा।

5.1.3 **पॉली हाउस** में उच्च कोटि की सब्जी की खेती की इकाई लागत भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के अनुरूप रू० 140.00 (एक सौ चालीस) प्रति वर्ग मीटर है, जिसपर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से रू० 70.00 लाख (सत्तर) प्रति वर्ग मीटर अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.1.4 **पॉली हाउस/शेडनेट हाउस** में कॉर्नेशन एवं जेरबेरा फूल की खेती की इकाई लागत भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के अनुरूप रू० 610.00 (छः सौ दस) प्रति वर्ग मीटर है, जिसपर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से रू० 305.00 (तीन सौ पाँच) प्रति वर्ग मीटर अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2 **अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन** के तहत 2000 वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस, ट्यूब बेल (आवश्कतानुसार), पानी टंकी प्लेटफॉम के साथ, वर्मी बेड (2 इकाई), पॉवर स्प्रेयर, प्लास्टिक क्रेट्स (50 संख्या), गार्डेन टूल्स, मल्च, जैविक खाद आदि सम्मिलित है। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन की कुल लागत राशि 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये होगी जिसपर 75 प्रतिशत के दर से 18.75 लाख (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रूपये अनुदान देय है।

6. **Centre of Excellence for Horticulture (Makhana) (Public Sector)** :– भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यायल, पूर्णियाँ में शत–प्रतिशत अनुदान से मानक प्राक्कलन अनुरूप बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के आलोक में निर्माण कराया जायेगा। इसका कार्यान्वयन एजेंसी भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यायल, पूर्णियाँ होगा।

7. **Pollination Support through Beekeeping** :– इस घटक अन्तर्गत मधुमक्खी के छत्ते का 15,000 एवं मधुमक्खी पेटिका 15,000 इकाई तथा शहद निकालने वाला (4 फ्रेम) फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम), जाली समेत मधुमक्खी पालन सेट 300 इकाई भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिसपर 495.00 लाख (चार करोड़ पन्चानवे लाख) रूपये व्यय किया जाना है। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है।

7.1 **मधुमक्खी के छत्ते** (8 फ्रेम वाले) की लागत राशि 0.02 लाख (दो हजार) रूपये प्रति छत्ता होगी, जिसपर अनुदान 75 प्रतिशत की दर से 0.015 लाख (एक हजार पाँच सौ) रूपये प्रति छत्ता एक मुश्त अनुदान मधुमक्खी पालन से प्रशिक्षित कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। मधुमक्खी के छत्ते में आवेदन करने का अधिकतम संख्या 50 होगा।

7.2 **मधुमक्खी पेटिका** की लागत राशि 0.02 लाख (दो हजार) रूपये पेटिका होगी, जिसपर अनुदान 75 प्रतिशत की दर से रू० 0.015 लाख (एक हजार पाँच सौ) रूपये प्रति पेटिका एक मुश्त अनुदान मधुमक्खी पालन से प्रशिक्षित कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। मधुमक्खी पेटिका में आवेदन करने का अधिकतम संख्या 50 होगा।

7.3 **शहद निकालने वाला यंत्र** (4 फ्रेम) फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम), जाली समेत मधुमक्खी पालन सेट की लागत राशि 0.20 लाख (बीस हजार) रूपये प्रति इकाई होगी, जिसपर अनुदान 75 प्रतिशत की दर से 0.15 लाख (पन्द्रह हजार) रूपये प्रति इकाई एक मुश्त अनुदान धुमक्खी पालन से प्रशिक्षित कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

शहद निकालने वाला यंत्र (4 फ्रेम), फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम), जाली समेत मधुमक्खी पालन सेट में आवेदन करने का अधिकतम संख्या 1 होगा।

मधुमक्खी पालन अवयव हेतु भूमि की अनिवार्यता नहीं होगी। परन्तु मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मधुमक्खी पालन का कम से कम तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

मधुमक्खी पालन हेतु यथासम्भव महिला कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मधुमक्खी पालन योजना के लिए कृषकों का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत संस्थान, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के.भी.आई.सी., आत्मा, सरकारी संस्थानों, उद्यान निदेशालय, जीविका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से निर्गत ही मान्य

होगा। किसी भी परिस्थिति में बागवानी मिशन के अधीन पंजीकृत या सदृश्य प्राईवेट मधुमक्खी पालन अवयव आपूर्त्ति करने वाले फर्मों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

इस अवयव का लाभ वैसे किसानों को नहीं दिया जायेगा, जो पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित हो चुके है।

8. **Human Resource Development (HRD)** :– इस घटक अन्तर्गत किसानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं राज्य के बाहर Exposure Visit पर 73.00 लाख (तिहतर लाख) रूपये व्यय किया जाना है।

8.1 **एक दिवसीय प्रशिक्षण** :– इस उप अवयव अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 2300 इकाई एवं वित्तीय लक्ष्य 23.00 लाख (तेईस लाख) रूपये है। इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा चयनित कृषकों को फल एवं सब्जी उत्पादन संबंधित विषयों पर कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र/आई.सी.ए.आर. संस्थान आदि के सहयोग से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (फल), देसरी, वैशाली, एवं चंडी, नालन्दा में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु प्रति दिन प्रति कृषक 1000.00 रूपये व्यय किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है।

8.2 **राज्य के बाहर Exposure Visit** :– इस अवयव अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य 50.00 (पच्चास लाख) रूपये है। इसके अन्तर्गत वैसे कृषक का चयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा, जिन्हें पूर्व के पाँच वर्षों में किसी योजना के तहत राज्य के बाहर Exposure Visit में नहीं भेजा गया हो। इसके साथ ही इस हेतु किसानों के चयन में उनके द्वारा प्रगतिशील कृषक के रूप में किए गये/जा रहे उद्यानिक कार्यों को भी महत्त्व दिया जायेगा। इसके तहत कृषकों को राज्य से बाहर अवस्थित उद्यान से संबंधित सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में 7 दिवसीय परिभ्रमण कराया जायेगा, जिसमें आने–जाने का समय सम्मिलित होगा।

9. **Integrated Post Harvest Management and Marketing Infrastructure** :– इस घटक अन्तर्गत पैक हाउस, कोल्ड रूम (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 एवं टाईप 2, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, राईपेनिग चैम्बर, अपनी मंडी एवं रिटेल आउटलेट स्वीकृत है, जिसका कुल भौतिक लक्ष्य 657 इकाई निर्धारित है, जिसपर रू० 1380.70 लाख व्यय किया जाना है।

9.1 इंट्रीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट :– इस उप अवयव अन्तर्गत पैक हाउस, कोल्ड रूम (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 एवं टाईप 2, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन, रेफ्रिजेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, राईपिंग चैम्बर स्वीकृत है। मिशन निदेशक की अध्यक्षता में SLEC द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में कार्य कराया जायेगा।

9.1.1 पैक हाउस (इकाई लागत 4.00 लाख (चार लाख) रूपये 9x6 मीटर का) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 50 प्रतिशत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.1.2 कोल्ड रूम (स्टेजिंग) (इकाई लागत रू० 15.00 लाख क्षमता 30 मे०टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 5.25 लाख (पाँच लाख पचीस हजार) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.1.3 कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 (इकाई लागत 0.08 लाख (आठ हजार) रूपये प्रति मे०टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 0.028 लाख (दो हजार आठ सौ) रूपये प्रति मे०टन सहायतानुदान देय है।

9.1.4 कोल्ड स्टोरेज टाईप 2 (इकाई लागत रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति मे०टन, अधिकतम 5,000 मे०टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 0.035 लाख (तीन हजार पाँच सौ) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.1.5 टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन (अधिकतम 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रूपये) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 87.50 लाख (सतासी लाख पाँच हजार) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.1.6 रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स (इकाई लागत 26.00 लाख (छब्बीस लाख) रूपये क्षमता 9 मे०टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 9.10 लाख (नौ लाख दस हजार) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.1.7 राईपेनिग चैम्बर (इकाई लागत 1.00 लाख (एक लाख) रूपये प्रति मे०टन अधिकतम 300 मे०टन प्रति लाभार्थी) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 0.35 लाख (पेंतीस हजार) रूपये प्रति मे०टन सहायतानुदान देय है।

9.2 मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रकचर :– इस उप अवयव अन्तर्गत अपनी मंडी एवं रिटेल आउटलेट स्वीकृत है।

9.2.1 अपनी मंडी (इकाई लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 8.75 लाख (आठ लाख पचहतर हजार) रूपये सहायतानुदान देय है।

9.2.2 रिटेल आउटलेट (इकाई लागत 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 5.25 लाख (पाँच लाख पचीस हजार) रूपये सहायतानुदान देय है।

उपरोक्त सभी अवयवों यथा कोल्ड रूम (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 एवं टाईप 2, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन, रेफ्रिजेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, राईपिंग चैम्बर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान ऋण संबद्ध बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद तथा द्वितीय किस्त परियोजना के व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ होने के बाद पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल के अनुशंसा के आलोक में देय होगा। इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अवयवों का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन के साथ ले–आउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस घटक का कार्यान्वयन राज्य स्तर से निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा State Level Executive Committee (SLEC) के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित SLEC द्वारा समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा। इस घटक में वैसे भी अवयव यथा कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल है, जिसका कार्यान्वयन अनुवर्त्ती वर्ष 2024–25 में पूर्ण किया जायेगा।

सब्जी की संरक्षित खेती को यथासंभव राज्य के प्रमुख शहर के आस–पास कलस्टर में बढ़ावा दिया जायेगा ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के विभिन्न आधारभूत संरचना का लाभ भी कलस्टर को दिया जा सकें।

उद्यानिक फसलोत्तर प्रबंधन, बाजार एवं प्रसंस्करण हेतु आधारभूत संरचना जैसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु FPO/FPC/VEGFED/JEEVIKA, पंचायत, कॉपरेटिव/सोसाईटी आदि को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

10. Mission Management :– इस घटक अन्तर्गत 73 भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिसपर 237.70 लाख (दो करोड़ सैंतीस लाख सत्तर हजार) रूपये व्यय किया जाना है। जिलावार लक्ष्य विवरणी अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है। इस घटक के तहत राज्य एवं जिला

कार्यालयों के विभिन्न क्रिया–कलापों के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यय, जिला स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/ प्रदर्शनी, प्रचार सामग्री एवं विज्ञापन के जरिये सूचना का प्रसार तथा राज्य स्तर पर विशेषज्ञयों को रखने के लिए तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के तहत इस घटक में व्यय किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 76 दिनांक 06.09.2023 से चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषकों के खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 12561.710 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ एकसठ लाख एकहत्तर हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत मुख्यतः दो कार्य यथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के तहत टपक सिंचाई/मिनी/माईक्रो स्प्रिंकलर तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर तथा अन्य अंतःक्षेप के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने वाले इच्छुक कृषक को निजी नलकूप एवं पम्पसेट उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में घटकवार कार्यान्वयन संबंधित अनुदेश निम्नवत् है :–

1. सूक्ष्म सिंचाई पद्धति :– सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अन्तर्गत तहत टपक सिंचाई/मिनी/माईक्रो स्प्रिंकलर तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाना है। टपक सिंचाई का प्रति हे० अनुमानित सांकेतिक लागत राशि 1.61 लाख रूपये, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर का प्रति हे० अनुमानित सांकेतिक लागत राशि 1.20 लाख रूपये है तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर का प्रति हे० सांकेतिक लागत राशि 0.27 लाख रूपये है। उपरोक्त सभी लागत राशि अधिकतम है, जिस पर जी०एस०टी० अलग से देय होगा। जी०एस०टी० किसानों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। उपरोक्त लागत राशि पर श्रेणीवार किसानो को देय अनुदान का प्रतिशत निम्नलिखित है :–

कृषक	ड्रिप सिंचाई पद्धति				पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति		
	केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	अतिरिक्त टॉपअप (राज्यांश)	कुल अनुदान प्रतिशत	केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	कुल अनुदान प्रतिशत
लघु एवं सीमांत	33%	22%	25%	80%	33%	22%	55%
अन्य	27%	18%	25%	70%	27%	18%	45%

1.2 इच्छुक कृषक को टपक (ड्रिप)/मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति के लिए न्यूनतम 0.5 एकड़ तथा अधिकतम 12.5 एकड़ (5 हेक्टेयर) तक तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर पद्धति के लिए न्यूनतम 1 एकड तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) तक के लिए सहायतानुदान दी जा सकती है।

1.3 इस योजना का पूर्व में लाभ लिये गये कृषकों के उसी भू–खण्ड पर पुनः 7 वर्षो के बाद ही लाभ दिया जा सकेगा।

1.4 इस योजना का लाभ सहकारी समिति/किसान समूह/जीविका द्वारा गठित समूह/FPO/SHG/NGO/Trust/Govt.Organisation को भी दिया जा सकता है। परंतु अधिकतम लाभ एवं समय–सीमा किसानों के तरह ही देय होगा। अर्थात् ड्रिप सिंचाई पद्धति हेतु अधिकतम 5 हे० (12.50 एकड़) तथा पोर्टेबुल स्प्रिंकलर अधिकत्तम 2 हे० (5 एकड़) तक ही अनुदान देय होगा।

1.5 इच्छुक कृषक उद्यान निदेशालय के वेबसाईट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करते समय ड्रॉप डाउन मेनु में निबंधित कंपनियों की सूची से किसी भी तीन कंपनियों का चयन कर सकते

हैं। चयनित कंपनी द्वारा कार्य स्थल पर जाकर डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार कर MIS पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, ततपश्चात् 7 दिनों के अन्दर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी स्थल जाँच कर अनुसंशा के साथ आवेदन को अग्रसारित करेंगे। तदोपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की जाँच कर 7 दिनों के अन्दर कार्यादेश निर्गत करेंगे। यदि किसान स्वयं के खर्च पर चयनित कंपनी से अधिष्ठापन कार्य कराते हैं तो देय अनुदान की राशि किसान के बैंक खाता में अंतरित की जायेगी। परंतु किसान पूरी राशि अपने से खर्च नहीं करते हैं तो अनुदान की राशि छोड़कर शेष देय राशि (जी०एस०टी० सहित) बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के बैंक खाता संख्या 919010095611598 (एक्सीस बैंक, आई०एफ०एस०सी० कोड - UTIB0000387) में जमा करना आवश्यक होगा। उक्त राशि जमा करने के पश्चात् चयनित कंपनी द्वारा 25 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रतिवेदन (अभिश्रव सहित) MIS पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

1.6 अगर किसी किसान द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों के संदर्भ में शिकायत किया जाता है तो संबंधित सहायक निदेशक उद्यान तुरन्त मुख्यालय को इसकी सूचना देंगे ताकि संबंधित कंपनी के विरूद्ध जाँचोपरांत कार्रवाई किया जा सके।

1.7 MIS पोर्टल पर पूर्णता प्रतिवेदन अपलोड होने के 7 दिनों के अन्दर संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरांत अगले 7 दिनों के अन्दर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा आवश्यक जाँचोंपरांत भुगतान की अनुशंसा की जायेगी। उक्त अनुशंसा के 7 दिनों के अन्दर राज्य स्तर से संबंधित कंपनी/लाभुक कृषक के बैंक खाता में देय अनुदान राशि अंतरित की जायेगी।

1.8 कंपनी की यह पूर्ण जवाबदेही होगी कि किसानों को बिक्री के उपरान्त किसी तरह की सिस्टम में खामियां आने पर उसे 3 वर्ष तक निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। 3 वर्ष में किसी तरह का पार्ट्स इत्यादि अलग लगाना/बदलना हो तो कंपनी उसकी राशि संबंधित कृषक से प्राप्त कर सकती है। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में उनकी बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी।

1.9 प्रत्येक कंपनी की यह जिम्मेवारी होगी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति अन्तर्गत अधिष्ठापित यंत्र के क्षेत्रों का भ्रमण उनके Agronomist एवं Horticulturist निश्चित रूप से प्रत्येक 3 माह में एक बार करें तथा किसानों को आवश्यक सुझाव एवं तकनीकी प्रशिक्षण दें। कंपनी को उनके MI Expert, Agronomist एवं Horticulturist का मोबाईल नम्बर संबंधित किसान, सहायक निदेशक उद्यान एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर कंपनी को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

1.10 कंपनी को हेड युनिट पर योजना का नाम, आवेदन संख्या, किसान का नाम, कंपनी का नाम अधिष्ठापन का क्षेत्रफल, तिथि, कंपनी के लोकल प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाईल नम्बर (शिकायत निवारण हेतु) इत्यादि परमानेन्ट व्हाईट मार्कर से अंकित करना होगा तथा साइनबोर्ड भी अधिष्ठापित करना होगा। इस कार्य को सहायक निदेशक उद्यान सुनिश्चित करेंगे।

2. **अन्य अंतःक्षेप** :– इस घटक अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने वाले इच्छुक कृषकों को जल स्रोत के लिए निजी नलकूप एवं 3 एच.पी. समरसेबल पम्पसेट पर 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाना है।

2.1. अन्य अन्तःक्षेप अंतर्गत मॉडल प्राक्कलन के अनुसार 48.78 मीटर (160 फीट) की गहराई के निजी बोरवेल के लिए प्राक्कलित राशि 79480.00/– (उनासी हजार चार सौ अस्सी) रु० है (संलग्न)। उक्त

प्राक्कलन के आलोक में 48.78 मीटर की गहराई के निजी बोरवेल की योजना के लिए अधिकतम 25000.00 (पच्चीस हजार) रु० अनुदान दिया जायेगा एवं 3 एच०पी० (अश्व शक्ति) तक क्षमता के BIS मानक वाले energy efficient सबमर्सिबल पम्पसेट का उपयोग किया जायेगा। पम्पसेट का Total Head- न्यून्तम 70m, Flow rate न्यून्तम 60 lpm, Wiring-Copper होना चाहिए। उक्त विनिर्देश के पम्पसेट के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000.00 रु० अनुदान अनुमान्य होगा।

2.2 अन्य अंतःक्षेप अन्तर्गत किसान/लाभुक के द्वारा व्यक्तिगत् नलकूप का कार्य कराने की परिस्थिति में संबंधित जिला के WDT (Engg. Expert)/ATM (Agri. Engg.)/BTM (Agri. Engg.)/Agriculture Cordinatior (Agri. Engg.) या जिला बागवानी समिति के अध्यक्ष की अनुमति से जिला के किसी भी अन्य कनीय अभियंता मापीपुस्त को संधारित करने हेतु प्राधिकृत रहेंगे तथा मापीपुस्त को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा संधारित किया जायेगा।

2.3 इस घटक के कार्यान्वयन की समय–सीमा पूर्वोक्त घटक टपक विधि के जैसी ही होगी। सत्यापनोंपरांत सहायक निदेशक उद्यान डी०बी०टी० (IN CASH/IN KIND) के माध्यम से की जायेगी।

2.4 भारत सरकार द्वारा निर्धारित Indicative Cost Norms में सामग्रियों का मूल्य, अधिष्ठापन व्यय, परिवहन व्यय एवं 3 वर्षो तक रख–रखाव व्यय शामिल है। परंतु प्रत्येक तिमाही किसानों के यहां कंपनी के अभियंता/शष्यविद् के द्वारा भ्रमण किया जायेगा एवं हेतु ड्रिप के रख–रखाव एवं शष्य परामर्श उनके द्वारा कराया जायेगा।

2.5 प्रत्येक कंपनी को उनके द्वारा उपलब्ध कराने वाले अभिश्रव पर सभी सामग्रियों का संख्या एवं परिमाप (लम्बाई एवं व्यास इत्यादि) दर सहित अंकित करना होगा।

2.6 छोटे–छोटे किसान (0.5 एकड़ से कम रकवा वाले) भी समूह बनाकर ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ ले सकते है, परन्तु छोटे समूह जिसमें कम से कम 2 किसान अनिवार्य होंगे, तथा उनके पास न्यूनत्तम 0.5 एकड़ से अधिकत्तम 12.50 एकड़ तक को एक यूनिट मानते हुये ड्रिप सिंचाई पद्धति हेतु आवेदन कर सकते है। समूह के सभी सदस्य रकवा के अनुसार किसान के अंश की राशि समूह के अध्यक्ष के माध्यम से बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के बैंक खाता में जमा करेंगे। अगर जीविका/आत्मा समूह द्वारा इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन दिया जाता है तथा जीविका के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र को सत्यापित करते हुये LPC के स्थान पर अपलोड किया जायेगा तब उन्हें LPC/Online/Offline रसीद देना आवश्यक नहीं होगा।

2.7 किसानों को आपूर्ति किये गये सिंचाई पद्धति अन्तर्गत सामग्रियों की गुणवत्ता एवं परिचालन की पूर्ण जवाबदेही निबंधित कंपनी की होगी।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संरक्षित खेती संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

यह योजना स्वीकृत्यादेश संख्या–111, दिनांक–27.09.2023 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) अंतर्गत संरक्षित खेती योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 815.30 लाख रूपये (आठ करोड़ पंद्रह लाख तीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। योजना अंतर्गत पॉली हाउस/शेडनेट हाउस तथा प्लास्टिक मल्चिंग के माध्यम से उद्यानिक फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जायेगा। यह योजना राज्य के सभी जिलों में उक्त स्वीकृत्यादेश की अनुसूची–2 के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा।

इस योजना के तहत Naturally Ventilated Tubular poly house, Shednet house, Plastic Mulching, Planting & Cultivation of Gerbera under poly house, Planting & Cultivation of Rose under Polyhouse, Cultivation & Planting of high value vegetables under shednet house घटकों का कार्यान्वयन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश निम्नवत् है :–

1. Naturally Ventilated Tubular poly house:- पौधों के विकास, उचित सूक्ष्म वातावरण एवं तापमान को नियंत्रित करने हेतु Naturally Ventilated Tubular poly house की आवश्यकता होती है। योजनांतर्गत इस घटक का लाभ वैसे किसानों को ही दिया जायेगा जो पॉली हाउस के अंदर डच रोज/जरबेरा की खेती करेंगे। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 935.00 (नौ सौ पैंतीस) रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान 467.50 (चार सौ सड़सठ रूपये पचास पैसे) रूपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। अनुदान की कुल राशि पॉली हाउस निर्माण के बाद सहायक निदेशक उद्यान के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

2. Shednet house :- नियंत्रित वातावरण में नाशीजीव प्रबंधन (Pest Management), कर उच्च मूल्य सब्जियों की खेती करने हेतु इच्छुक किसान को शेडनेट हाउस अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 710.00 (सात सौ दस) रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान 355.00 (तीन सौ पचपन) रूपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। अनुदान की कुल राशि शेडनेट हाउस निर्माण के बाद सहायक निदेशक उद्यान के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

3. Plastic Mulching:- इस तकनीक का उपयोग फसल को खरपतवार से बचाने एवं मिट्टी की नमी को बनाये रखने के लिए किया जाता है। योजनांतर्गत इस घटक का लाभ रैयत एवं गैर रैयत किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ले सकते है। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 32,000.00 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत अनुदान 16,000.00 (सोलह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर देय है। अनुदान की कुल राशि प्लास्टिक मल्चिंग लगने के बाद प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

उपरोक्त तीनों घटकों यथा– पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/प्लास्टिक मल्च अवयव का निर्माण/कार्यान्यवन कृषकों द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के Empanelled कंम्पनी/फर्म के

माध्यम से कराया जायेगा। Empanelled कंम्पनी/फर्म का चयन आवेदन के समय पोर्टल पर ड्रॉपडाउन मेन्यू से किया जायेगा।

4. Planting & Cultivation of Gerbera:- इस अवयव का लाभ योजनांतर्गत Naturally Ventilated Tubular poly house के लाभार्थियों को ही दिया जायेगा। इसके अंतर्गत जरबेरा की संरक्षित खेती हेतु उत्पादन के सभी घटकों (पैकेज के रूप में) पर अनुदान दिया जायेगा। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 610.00 (छः सौ दस) रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान 305.00 (तीन सौ पाँच) रूपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। अनुदान की कुल राशि जरबेरा के पौधे लगने के बाद प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

5. Planting & Cultivation of Rose under Poly house:- इस अवयव का लाभ योजनांतर्गत Naturally Ventilated Tubular poly house, के लाभार्थियों को ही दिया जायेगा। इसके अंतर्गत जरबेरा की संरक्षित खेती हेतु उत्पादन के सभी घटकों (पैकेज के रूप में) पर अनुदान दिया जायेगा। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 426.00 (चार सौ छब्बीस) रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान 213.00 (दो सौ तेरह) रूपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। अनुदान की कुल राशि गुलाब के पौधे लगने के बाद प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

6. Cultivation & Planting of high value vegetables under shednet house:- इस अवयव का लाभ योजनांतर्गत Shednet house के लाभार्थियों को ही दिया जायेगा। इसके अंतर्गत high value vegetables की संरक्षित खेती हेतु उत्पादन के सभी घटकों (पैकेज के रूप में) पर अनुदान दिया जायेगा। इस अवयव अंतर्गत MIDH गाईडलाईन के अनुरूप इकाई लागत 140.00 (एक सौ चालीस) रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान 70.00 (सत्तर) रूपये प्रति वर्ग मीटर दिया जायेगा। अनुदान की कुल राशि उच्च मूल्य वाले सब्जियों के पौधे लगने के बाद प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

उपरोक्त सभी घटकों में से प्लास्टिक मल्चिंग घटक को छोड़कर शेष सभी पाँच घटकों के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 4000 वर्ग मीटर 500 वर्ग मीटर के गुणक में लाभ दिया जायेगा। उद्यान निदेशालय द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी/फर्म से लाभुक कृषकों को जरबेरा एवं डच रोज की पौध सामग्री का क्रय किया जायेगा। प्राकृतिक आपदा से पॉली हाउस में प्रयुक्त पॉलीथीन/शेडनेट हाउस नष्ट होने पर कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु कृषकों द्वारा स्वयं राशि का वहन किया जायेगा। तकनीकी ज्ञान संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि योजना Self Sustainable हो सके। कृषक समूह के अन्तर्गत आवेदक को योजना लाभ हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। कृषक निर्धारित मॉडल के निर्माण में संलग्न एजेंसी की जानकारी हेतु संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान का सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना अंतर्गत स्वीकृत उपरोक्त छः घटकों में से मल्चिंग को छोड़कर शेष सभी 5 घटकों का लाभ वैसे किसान को नहीं दिया जायेगा जो इन घटकों का लाभ पूर्व के 5 वर्षों में ले चुके हैं।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 05 (पाँच) प्रोजनीबाग के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – NHM/BHDS/264/2020/PPM-77 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 05 (पाँच) प्रोजनीबाग के सुदृढ़ीकरण योजना को 488.40921 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख चालीस हजार नौ सौ इक्कीस) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत पाँच प्रोजनीबाग – सोनो, जिला – जमुई, खड़गपुर, जिला – मुंगेर, शाहकुंड, जिला – भागलपुर, पटोरी, जिला – समस्तीपुर एवं बोचहा, जिला – मुजफ्फरपुर का सुदृढ़ीकरण हेतु मालीशेड का निर्माण, सिंचाई हेतु बोरिंग एवं अन्य उपस्कर, स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई की स्थापना, घेराबन्दी, गेट, शेडनेट हाउस, आवश्यकता आधारित छोटे औद्यानिक औजार की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत स्वीकृत घटकवार कार्यान्वयन अनुदेश निम्न प्रकार से है :–

1. मालीशेड, घेराबन्दी एवं गेट का निर्माण :– सभी 05 प्रोजनीबाग नर्सरी में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में चयन किये गये कार्य एजेंसी से निर्माण कार्य कराया जायेगा।

2. सिंचाई हेतु बोरिंग एवं अन्य उपस्कर, स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई की स्थापना, शेडनेट हाउस तथा छोटे औद्यानिक औजार को संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 का अनुपालन करते हुए क्रय/ अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. प्रोजनीबागों के सुदृढ़ीकरण का घटक निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू० में०)

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	संख्या/वर्गमीटर/ रनिंग फीट	इकाई दर	कुल राशि
i	मालीशेड	05 इकाई	8.795	43.97500
ii	सिंचाई हेतु बोरिंग एवं अन्य उपस्कर	05 इकाई	3.01097	15.05485
iii	स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई की स्थापना	05 इकाई	0.5252	2.62600
iv	घेराबन्दी	7189 रनिंग मीटर	0.05224	375.55336
v	गेट	05 इकाई	2.14	10.70000
vi	शेडनेट हाउस	5000 वर्गमीटर	7.10	35.50000
vii	छोटे औद्यानिक औजार (आवश्यकता आधारित)	05 इकाई	1.00	5.00000
	कुल			**488.40921**

(चार करोड़ अट्ठासी लाख चालीस हजार नौ सौ इक्कीस) रूपये

4. सहायक निदेशक उद्यान परियोजना कार्यान्वयन के पूर्व प्रोजनीबाग नर्सरी का सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रोजनीबाग नर्सरी सुदृढ़ीकरण का कार्य संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुसार कराया जायेगा। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन का कार्य सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्ति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

6. कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान कार्य एजेंसी के अभियंता एवं प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

7. संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी निरंतर कार्य स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह पर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला उद्यान कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में सहायक निदेशक उद्यान नियमित रूप से कार्य स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत झोपड़ी में मशरूम योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना हेतु कुल 359.00 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख) रूपये मात्र {केन्द्रांश 215.40 लाख (दो करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 143.60 लाख (एक करोड़ तैतालीस लाख साठ हजार) रूपये} की लागत पर स्वीकृत्यादेश संख्या–63 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में किया जाना है। योजना अन्तर्गत कृषकों द्वारा झोपड़ी संरचना का निर्माण कराया जायेगा तथा निर्मित संरचना अन्तर्गत मशरूम उत्पादन का कार्य किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना कार्यान्वयन संबंधित निदेश निम्नवत् है :–

1. झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजनान्तर्गत मशरूम उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा योजना अनुसार 1500 वर्गफीट (30 × 50 फीट) में झोपड़ी का निर्माण किया जाना है। स्वीकृत्यादेश संख्या–63 दिनांक 01.09.2023 के अनुसूची–2 के अनुरूप बाँस, ईकारी (खर), घास, पॉलीथीन शीट एवं RCC पीलर के द्वारा झोपड़ी संरचना का निर्माण किया जाना है। योजना के Layout Plan के अनुसार Thatch House के निर्धारित मॉडल का निर्माण कृषक द्वारा कराया जायेगा। झोपड़ी निर्माण उपरान्त स्वीकृत्यादेश की अनुसूची–3 के अनुरूप सभी घटक स्ट्रो, स्पॉन एवं पॉली बैग, टूल्स एवं अन्य सामग्री भी कृषक को योजना का लाभ लेने हेतु लेना अनिवार्य होगा। बाद के वर्षों में कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु स्वयं राशि का वहन किया जायेगा, ताकि योजना Self Sustainable हो सके।
2. योजनान्तर्गत झोपड़ी संरचना का निर्माण हेतु इकाई लागत कुल 1,79,500.00 (एक लाख उनासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र निर्धारित है, जिसका अधिकतम 50 प्रतिशत यथा 89,750.00 (नवासी हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो, अनुदान कृषकों को दिया जायेगा।
3. **कार्यक्रम का सत्यापन** :– योजनान्तर्गत कार्यादेश निर्गत करने के **60 (साठ) दिनों** के अन्दर कृषकों द्वारा झोपड़ी संरचना का निर्माण एवं योजना अन्तर्गत सभी घटकों का झोपड़ी संरचना में अधिष्ठापन कराना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं किये जाने पर निर्गत कार्यादेश को सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कृषकों को सूचित करने के तीन दिनों के बाद निरस्त कर पूर्व से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन के आलोक में पुनः कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
4. **कार्यक्रम का निरीक्षण** :– प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान सभी पूर्ण निर्माण कार्य का शत–प्रतिशत तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं

का 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी 2 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक को समर्पित करेंगे।

5. **अनुदान भुगतान की प्रक्रिया** :—योजनान्तर्गत झोपड़ी संरचना निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्राक्कलित राशि के अनुरूप कार्य हुआ है, को प्रमाणित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–31 दिनांक–08.07.2023 द्वारा बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम मद से 4359.911 लाख (तैतालीस करोड़ उनसठ लाख एकानबे हजार एक सौ) रूपये की लागत पर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर राज्य के 15 जिलों यथा–**अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमुर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल** में कार्यान्वित की जानी है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1, 2, 3 एवं 4 द्वारा अवयववार/जिलावार स्वीकृत लक्ष्य के आलोक में किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना कार्यान्वयन हेतु अवयववार अनुदेश निम्नवत् है :–

1. **Plantation Infrastructure & Development :** इस अवयव अन्तर्गत उद्यानिक फसलों यथा–फल, मसाला, अन्य सुगंधित पौधे, फूल तथा मशरूम का क्षेत्र विस्तार एवं पूर्व के वर्षों में लगाये गये बागों का रख–रखाव किया जाना है। अवयव अन्तर्गत स्वीकृत उप अवयव निम्नांकित है :–

1.1 **नये बाग की स्थापना (क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम)** :– इस घटक के तहत् एकवर्षीय–टिश्यू कल्चर केला एवं पपीता तथा बहुवर्षीय–आम, अमरूद, लीची के नये बागों की स्थापना किया जाना है।

1.1.1 **टिश्यु कल्चर केला एवं पपीता का क्षेत्र विस्तार** :– इस अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	टिश्यु कल्चर केला	1500	703.125
2	पपीता	250	84.375
कुल		**1750**	**787.50**

टिश्यु कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 125000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 62500.00 (बासठ हजार पाँच सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान दो किस्तों में देय है। प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत यानि 46875.00 (छियालीस हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये प्रति हेक्टेयर केला के बगान लगाने के सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमानुसार दिया जायेगा।

पपीता के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 60000.00 साठ हजार) रूपये का 75 प्रतिशत यानि 45000.00 (पैंतालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान दो किस्तों में देय है। प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत यानि 33750.00 (तैंतीस हजार सात सौ पचास) रूपये प्रति हेक्टेयर पपीता के बगान लगाने के सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमानुसार दिया जायेगा।

पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसित 2500 (दो हजार पाँच सौ) पौधा प्रति हेक्टेयर की दर से पौध सामग्री COE देसरी, वैशाली से चयनित कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जायेगा। गैर–रैयत कृषक भी इस उप अवयव का लाभ ले सकते हैं।

1.1.2 **आम, लीची एवं अमरूद (बहुवर्षीय फल)** :– इस उप अवयव का फसलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	आम	500	90.00
2	लीची	240	43.20
3	अमरूद	200	36.00
कुल		**940**	**169.20**

इस उप अवयव अन्तर्गत स्वीकृत फसलों यथा–आम, लीची एवं अमरूद के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 60000.00 (साठ हजार) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 30000.00 (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान तीन किस्तों में देय है। प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 60 प्रतिशत यानि 18000.00 (अठारह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर उक्त फसलों के बगान लगाने के सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमानुसार दिया जायेगा। आम एवं लीची के बाग लगाने हेतु अनुशंसित पंक्ति से पंक्ति की दूरी एवं पौधो से पौधों की दूरी 10mx10m है, तथा अमरूद के बाग के लिए 6mx6m है। इस आधार पर प्रति हेक्टेयर आम, लीची एवं अमरूद के पौधों की संख्या क्रमशः 100, 100 एवं 278 होगी, जिसके अनुसार सहायतानुदान देय होगा।

1.1.3 **बहुवर्षीय फलदार वृक्ष (आम, लीची एवं अमरूद) का 2nd Year maintenance** :- इस उप अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	आम	244.408	24.441
2	लीची	46.36	4.636
3	अमरूद	2.00	0.20
कुल		**292.768**	**29.277**

इस उप अवयव के तहत् वित्तीय वर्ष 2022—23 में लगाये गये आम, लीची एवं अमरूद के बागों के रख—रखाव हेतु प्रति हेक्टेयर 10000.00 (दस हजार) रूपये सहायतानुदान बाग में 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

1.1.4 **एकवर्षीय फल (टिश्यू कल्चर केला एवं पपीता) का 2nd Year Maintenance :-** इस अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :—

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	टिश्यु कल्चर केला	507.376	79.278
2	पपीता	65.38	7.355
कुल		**572.756**	**86.633**

इस उप अवयव के तहत् वित्तीय वर्ष 2022—23 में लगाये गये टिश्यु कल्चर केला के बागों के रख—रखाव हेतु प्रति हेक्टेयर क्रमशः 15625.00 (पन्द्रह हजार छः सौ पच्चीस) रूपये एवं 11250.00 (ग्यारह हजार दो सौ पचास) रूपये सहायतानुदान बाग में 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

1.1.5 **बहुवर्षीय फल (आम, लीची अमरूद) का 3rd Year Maintenance :-** इस अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :—

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	आम	121.216	12.122
2	लीची	10.448	1.045
3	अमरूद	0.2	0.02
कुल		**131.864**	**13.187**

इस उप अवयव के तहत् वित्तीय वर्ष 2021—22 में लगाये गये आम, लीची एवं अमरूद के बागों के रख—रखाव हेतु प्रति हेक्टेयर 10000.00 (दस हजार) रूपये सहायतानुदान बाग में 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

1.1.6 **मशरूम स्पॉन एवं कम्पोस्ट किट वितरण** :— इस उप अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 5.00 लाख तथा वित्तीय लक्ष्य 270.00 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये है।

इस उप अवयव का लाभ लेने के लिए भूमि की अनिवार्यता नहीं होगी, परंतु मशरूम पर न्यूनतम दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र अनिवार्य है। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत संस्थानों/उद्यान निदेशालय के अधीन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस/जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र हीं मान्य होगा।

प्रति किट इकाई लागत 60.00 (साठ रूपये) का 90 प्रतिशत (54.00 रूपये) अनुदान देय है। मशरूम उत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा सम्भव महिला कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 25 तथा अधिकतम 100 किट अनुदानित दर पर दिया जायेगा।

इस उप अवयव अन्तर्गत मशरूम किट का क्रय राज्य बागवानी मिशन के PHM (Post Harvest Management) अवयव के तहत स्पॉन उत्पादन/कम्पोस्ट उत्पादन हेतु संस्थापित इकाइयों के साथ–साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/बिहार राज्य स्थित अन्य सरकारी संस्थानों/व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन कर रहे प्रतिष्ठानों से किया जायेगा।

1.1.7 **खुले फूल (लघु एवं सीमांत कृषक) का क्षेत्र विस्तार** :– इस उप अवयव का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 250 हेक्टेयर तथा वित्तीय लक्ष्य 70.00 लाख रूपये है। इस उप अवयव का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को ही दिया जाना है।

खुले फूल के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 40000.00 (चालीस हजार) रूपये का 70 प्रतिशत यानि 28000.00 (अठाईस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान एक मुश्त सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिया जायेगा।

अनुशंसित प्रभेदों का पौध सामगी/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

सीमांत किसान की श्रेणी में ऐसे किसान होगें, जिनके जोत का रकवा 1 हेक्टेयर से कम है। ऐसे किसान जिनके जोत का रकवा 1–2 हेक्टेयर तक है, लघु किसान की श्रेणी में होंगें। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जायेगा।

1.1.8 **मसाला का क्षेत्र विस्तार** :– इस अवयव का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 1000 हेक्टेयर तथा वित्तीय लक्ष्य 150.00 लाख रूपये है।

मशाला के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 30000.00 (तीस हजार) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 15000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान एक मुश्त सत्यापनोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिया जायेगा।

अनुशंसित प्रभेदों का पौध सामगी/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जायेगा।

1.1.9 **अन्य सुगंधित पौधे (Other Aromatic Plants) की खेती का क्षेत्र विस्तार** :– इस अवयव का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 3000 हेक्टेयर तथा वित्तीय लक्ष्य 600.00 लाख रूपये है।

अन्य सुगंधित पौधे का क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 40000.00 (चालीस हजार) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 20000.00 (बीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान एक मुश्त सत्यापनोंपरान्त दिया जायेगा। इस उप अवयव अन्तर्गत फसलों की खेती फरवरी–अप्रैल में की जाती है। अतः सहायतानुदान का भुगतान अनुवर्ती वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024–25) में किया जायेगा।

अनुशंसित प्रभेदों का पौध सामगी/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जायेगा।

2. **Protected Cultivation** :– इस अवयव अन्तर्गत अग्रपंक्ति प्रदर्शन किया जाना है। इस अवयव का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 40 इकाई एवं वित्तीय लक्ष्य 750.00 लाख रूपये है। इस अवयव के तहत् 2000 वर्गमीटर में शेडनेट हाउस की स्थापना पर सहायतानुदान दिया जाना है। शेडनेट हाउस अन्तर्गत टयूब बेल (आवश्यकतानुसार), पानी टंकी प्लेटफॉर्म के साथ वर्मी बेड (2 इकाई), पॉवर स्प्रेयर, प्लास्टिक क्रेट्स (50 संख्या), गार्डेन टूल्स, मल्च, जैविक खाद आदि एक पैकेज के रूप में दिया जायेगा।

प्रति इकाई लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये का 75 प्रतिशत यानि 18.75 लाख (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रूपये सहायतानुदान तीन किस्तों में निम्नवत् दिया जायेगा।

(क) फाउन्डेशन वर्क की समाप्ति एवं शेडनेट हाउस की सम्पूर्ण सामग्री कार्य स्थल पर उपलब्ध कराने के उपरान्त 25 प्रतिशत सहायतानुदान भुगतान किया जायेगा।

(ख) शेडनेट हाउस की सम्पूर्ण ढाँचा निर्माण एवं शेडनेट चढ़ाने के उपरान्त 35 प्रतिशत सहायतानुदान भुगतान किया जायेगा।

(ग) शेडनेट हाउस में शष्य क्रियाओं का सम्पादन कराने एवं कृषकों को हैण्ड ओवर कराने के उपरान्त 40 प्रतिशत सहायतानुदान भुगतान किया जायेगा।

इच्छुक कृषक उद्यान निदेशालय के वेबसाईट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करते समय ड्रॉप डाउन मेनु में निबंधित कंपनियों की सूची से किसी भी तीन कंपनियों का चयन कर सकते हैं।

3. **Human Resources Development** :– इस अवयव के तहत् स्वीकृत उप अवयव एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण, राज्य के बाहर Exposure Visit एवं मशरूम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शामिल है।

3.1 एक दिवसीय प्रशिक्षण :– इस उप अवयव अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 2000 (संख्या) एवं वित्तीय लक्ष्य 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये है। इसके अन्तर्गत किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जिलावार लक्ष्य के आलोक में चयनित कृषकों को प्रशिक्षण सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (फल), देसरी, वैशाली, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंडी, नालन्दा को दिया जायेगा। इस हेतु प्रति दिन प्रति किसान 1000.00 रूपये व्यय किया जायेगा।

3.2 राज्य के बाहर Exposure Visit इस अवयव अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य 50.00 (पचास लाख) रूपये है। इसके अन्तर्गत कृषक का चयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। चयनित कृषकों को राज्य से बाहर अवस्थित उद्यान से संबंधित सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में 7 दिवसीय परिभ्रमण कराया जायेगा, जिसमें आने–जाने का समय सम्मिलित होगा।

3.3 मशरूम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण :– इस अवयव के तहत् स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 5000 (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य 100.00 लाख रूपये है।

इस उप अवयव अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 5000 (पाँच हजार) एवं वित्तीय लक्ष्य 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये है। इसके अन्तर्गत किसानों को दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं जिलावार लक्ष्य के आलोक में चयनित कृषकों को प्रशिक्षण सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (फल), देसरी, वैशाली, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंडी, नालन्दा को दिया जायेगा। इस हेतु प्रति दिन प्रति किसान 1000.00 रूपये व्यय किया जायेगा।

4. **Post Harvest Management** :– इस अवयव के तहत् आसवन इकाई का अधिष्ठापन किया जाना है, जिसका स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 10 (दस) तथा वित्तीय लक्ष्य 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये है।

इस अवयव का लाभ व्यक्तिगत किसान एवं किसान उत्पादक समूह को दिया जायेगा। प्रति इकाई लागत 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपये का 50 प्रतिशत यानि 2.50 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये प्रति इकाई सहायतानुदान दो किस्तों में देय है। प्रथम

किस्त सहायतानुदान राशि का 50 प्रतिशत (125000.00 रूपये) सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद दिया जायेगा। द्वितीय किस्त का भुगतान सहायतानुदान की शेष 50 प्रतिशत राशि (125000.00 रूपये) आसवन इकाई के व्यवसायिक रूप से प्रारंभ होने के उपरान्त ही किया जायेगा। सहायतानुदान के दोनों किस्तों का भुगतान पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल के अनुशंसा पर किया जायेगा। आसवन इकाई का निर्माण राज्य बागवानी मिशन द्वारा निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा कराया जायेगा। संबंधित एजेन्सी द्वारा कार्यादेश निर्गत के तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जायेगा।

5. **Special intervention** :– इस अवयव के तहत् स्वीकृत उप अवयव प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग, फ्रूट ट्रैप बैग तथा सोलर माईक्रो कूल चैम्बर (5 मीट्रिक टन) हैं।

5.1 **प्लास्टिक क्रेट्स** :– इसका स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 2.5 लाख (दो लाख पच्चास हजार) रूपये तथा वित्तीय लक्ष्य 900.00 लाख (नौ करोड़) रूपये है। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति प्लास्टिक क्रेट्स इकाई लागत 400.00 (चार सौ) रूपये पर 90 प्रतिशत 360 (तीन सौ साठ) रूपये अनुदान सहायतानुदान दिया जाना है। इस उप अवयव का लाभ उद्यानिक फसल की खेती करने वाले किसानों को ही दिया जायेगा। प्रति कृषक न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50 की संख्या में प्लास्टिक क्रेट्स देय होगा।

5.2 **लेनो बैग** :–इसका स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 3 लाख (तीन लाख) रूपये तथा वित्तीय लक्ष्य 54.00 लाख (चौवन लाख) रूपये है। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति लेनो बैग इकाई लागत 20.00 (बीस) रूपये पर 90 प्रतिशत 18 (अठारह) रूपये अनुदान दिया जाना है। इस उप अवयव का लाभ उद्यानिक फसल की खेती करने वाले किसानों को ही दिया जायेगा। प्रति कृषक न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 की संख्या में लेनो बैग देय होगा।

5.3 **फ्रूट ट्रैप बैग** :–इसका स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 3 लाख (तीन लाख) रूपये तथा वित्तीय लक्ष्य 45.00 लाख (पैंतालीस लाख) रूपये है। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति फ्रूट ट्रैप बैग इकाई लागत 30.00 (तीस) रूपये पर 50 प्रतिशत 15 (पन्द्रह) रूपये अनुदान सहायतानुदान दिया जाना है। इस उप अवयव का लाभ केला उत्पादक किसानों को ही दिया जायेगा। प्रति कृषक न्यूनतम 600 एवं अधिकतम 12000 की संख्या में फ्रूट ट्रैप बैग देय होगा।

5.4 उपरोक्त अंकित तीनों उप अवयव यथा– प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग, फ्रूट ट्रैप बैग का आवेदन इच्छुक कृषक उद्यान निदेशालय के वेबसाईट https://horticulture.bihar.gov.in/

पर आवेदन करते समय ड्रॉप डाउन मेनु में सूचीबद्ध कम्पनी में किसी एक का चयन कर सकते हैं। तदोपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की जाँच कर 7 दिनों के अन्दर कार्यादेश निर्गत करेंगे। तत्पश्चात सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित कम्पनी चयनित कम्पनी से DBT In kind/ In Cash विकल्प के तहत् प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग, फ्रूट ट्रैप बैग आवेदक किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.5 **सोलर पैनल माईक्रो कूल चैम्बर** :– इस उप अवयव का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 5 (पाँच) एवं वित्तीय लक्ष्य 32.5 लाख (बत्तीस लाख पच्चास हजार) रूपये है। इस उप अवयव अन्तर्गत प्रति सोलर पैनल माईक्रो कूल चैम्बर इकाई लागत 13.00 लाख (तेरह लाख) रूपये पर 50 प्रतिशत 6.50 लाख (छः लाख पच्चास हजार) रूपये दो किस्तों में सहायतानुदान देय है।

प्रथम किस्त सहायतानुदान राशि का 50 प्रतिशत 325000.00 (तीन लाख पच्चीस हजार) रूपये मशीनरी के संस्थापन के बाद दिया जायेगा। द्वितीय किस्त का भुगतान सहायतानुदान की शेष 50 प्रतिशत राशि 325000.00 (तीन लाख पच्चीस हजार) सोलर पैनल माईक्रो कूल चैम्बर के व्यवसायिक रूप से प्रारंभ होने के उपरान्त ही किया जायेगा। सहायतानुदान के दोनों किस्तों का भुगतान पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल के अनुशंसा पर किया जायेगा। सोलर पैनल माईक्रो कूल चैम्बर का निर्माण राज्य बागवानी मिशन द्वारा निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा कराया जायेगा। संबंधित एजेन्सी द्वारा कार्यादेश निर्गत के तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

सब्जी विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक 05.09.2023 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद् से 1303.560 लाख रूपये की लागत पर सब्जी विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। इसका उद्देश्य सब्जी उत्पादक किसानों को विभिन्न सब्जियों के बीज/बिचड़ा उपलब्ध कराकर उत्पादन एवं उत्पादकता के वृद्धि के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

इस योजना अन्तर्गत उच्च मूल्य के सब्जी बिचड़ों का वितरण, प्याज बीज वितरण, प्याज भंडारण संरचना का निर्माण, संकर (हाईब्रिड) सब्जी बीज वितरण एवं आलू बीज वितरण अवयवों की स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 7 तक के आलोक में किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना के कार्यान्वयन हेतु घटकवार अनुदेश निम्नवत् है :–

1. **उच्च मूल्य के सब्जी बिचड़ो का वितरण** :– इस घटक के अन्तर्गत चयनित कृषकों को चिन्हित सब्जी फसलों का प्रति पौधा इकाई लागत 10.00 (दस) रू० का 75 प्रतिशत यानि 7.50 (सात रूपये पचास पैसे) रू० प्रति पौधा की दर से सहायतानुदान देय होगा।

इस अवयव अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंडी, नालन्दा के माध्यम से किसानों को बिचड़ा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	ब्रोकोली	250000	18.75
2	कलर कैप्सीकम	250000	18.75
3	बीज रहित खीरा	250000	18.75
4	बीज रहित बैगन	250000	18.75
	योग	**1000000**	**75.00**

1.1 इस अवयव के किसी एक उप अवयव/फसल में न्यूनतम 1000 एवं अधिकतम 10000 सब्जी बिचड़ों पर नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

1.2 संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कृषक अंश (प्रति पौधा 2.5 रूपये) की राशि प्राप्त कर COE चंडी, नालन्दा को उपलब्ध कराया जायेगा। ततपश्चात संबंधित किसानो को स्वीकृति के आलोक में सब्जी का बिचड़ा उपलब्ध कराया जायेगा।

1.3 सब्जी पौध (Seedling) प्राप्ति उपरान्त अनुदान की राशि (7.50 रू०) एवं कृषक अंश (2.50 रू०) DBT In Kind के तहत् COE चंडी, नालन्दा को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1.4 इस अवयव का कार्यान्वयन **पटना, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों जैसे पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, नालन्दा, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली** में फसलवार निर्धारित लक्ष्य के आलोक में किया जायेगा।

1.5 इस घटक के तहत् ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का जाँचोपरान्त निर्गत कार्यादेश की सूचना संबंधित कृषकों के Registered मोबाईल पर भेजा जायेगा, तथा स्वीकृत बिचड़ों (Seedling) के संख्या के आलोक में कृषकों द्वारा संबंधित प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को OTP शेयर कर बिचड़ा प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा।

2. **प्याज बीज वितरण** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 2000 हेक्टेयर एवं वित्तीय लक्ष्य 216.00 लाख रूपये है।

रबी मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित दर इकाई लागत 14,400.00 रूपये का 75 प्रतिशत 10,800.00 रूपये पर प्याज के बीज का वितरण किया जाएगा।

प्याज के अनुशंसित रबी प्रभेदों, NHRDF red 3 एवं NHRDF red 4 के बीज का दर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए 1200.00 (एक हजार दो सौ रूपये) प्रति किलोग्राम निर्धारित है। अनुशंसित बीज की मात्रा 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कुल मूल्य 14,400.00 (चौदह हजार चार सौ) रूपये पर अधिकतम 75 प्रतिशत 10,800.00 (दस हजार आठ सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान दिया जायेगा।

2.1 **रबी मौसम** में प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्याज का बीज का वितरण चिन्हित 7 जिलों यथा– **बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नालन्दा एवं पटना** में लक्ष्य के आलोक में किया जायेगा।

2.2 प्याज का न्यूनतम रकवा 0.25 एकड़ के गुणक में अधिकतम 1 हेक्टेयर तक स्वीकृति दी जायेगी।

2.3 चयनित कृषको को स्वीकृत रकवा के अनुसार अनुदानित दर पर बीज की उपलब्धता DBT in kind विकल्प के तहत् **कंडिका 4.1.3, 4.1.4 एवं 4.1.5** के अनुसार किया जायेगा।

3. **प्याज भंडारण संरचना का निर्माण** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 50 एवं वित्तीय लक्ष्य 225.00 लाख (दो करोड़ पच्चीस लाख) रूपये है।

प्याज के लिए उपयुक्त भंडारण संरचना का निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु 50 मीट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण संरचना का मॉडल की अनुमानित लागत 6.00 लाख (छः लाख) रूपये पर 75 प्रतिशत अधिकतम 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार) रूपये सहायतानुदान प्याज भण्डारण संरचना निर्माण के बाद संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही दिया जायेगा।

प्याज भंडारण निर्माण का एक उपयुक्त Model Estimate उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार कराया जाएगा, जिस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत प्याज भंडारण संरचना का निर्माण कराया जाएगा।

3.1 प्याज भंडारण संरचना का निर्माण उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा जाँच किया जायेगा। तत्पश्चात नियमानुसार एक मुस्त सहायतानुदान का भुगतान किया जायेगा।

4. **संकर (हाईब्रिड) सब्जी बीज वितरण** :– इस घटक अंतर्गत रबी मौसम में फूलगोभी एवं पत्तागोभी तथा गरमा मौसम में बैंगन, मिर्च एवं लौकी के संकर (हाईब्रिड) बीजों का वितरण किया जायेगा। सब्जियों की खेती के तहत प्रति हेक्टेयर अनुशंसित बीज दर के अनुमानित बीज मूल्य/वास्तविक बीज मूल्य दोनों मे से जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

इस घटक अन्तर्गत रबी एवं गरमा मौसम में संकर सब्जी बीज वितरण का फसलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	फूलगोभी (रबी)	750	185.625
2	बंधागोभी (रबी)	750	45.00
3	मिर्च (गरमा)	1100	371.25
4	बैगन (गरमा)	500	20.625
5	लौकी (गरमा)	400	45.00
	योग	**3500**	**667.50**

4.1 **रबी मौसम में हाईब्रिड सब्जी का बीज वितरण**

रबी मौसम में **फूलगोभी एवं बंधागोभी** के गुणवत्तायुक्त हाईब्रिड बीज का वितरण, चिन्हित 13 जिला यथा–**भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, किशनगंज, नालन्दा, पटना पूर्णियाँ, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण** में फसलवार लक्ष्य के आलोक में किया जायेगा।

4.1.1 इस घटक का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 2.5 एकड़ (1 हे०) तक दिया जायेगा।

4.1.2 फूलगोभी एवं बंधागोभी का न्यूनतम रकवा 0.25 एकड़ के गुणक में अधिकतम 1 हेक्टेयर तक स्वीकृति दी जायेगी।

4.1.3 चयनित कृषक स्वीकृत रकवा के अनुसार DBT in kind के तहत् बीज प्राप्त कर सकते हैं। **DBT in kind** वाले कृषक सम्बद्ध एजेंसी/आपूर्तिकर्ता (बिहार राज्य बीज निगम, पटना) से अपना OTP देकर गुणवत्तायुक्त हाईब्रिड सब्जी प्राप्त कर सकेगें। प्रति हेक्टेयर बीज के इकाई लागत का 75 प्रतिशत सहायतानुदान का भुगतान सम्बद्ध एजेंसी/आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा, तथा कृषक अंश की राशि संबंधित कृषको को स्वयं भुगतान कर बीज प्राप्त किया जायेगा।

4.1.4 चयनित कृषक DBT in kind विकल्प के तहत् नियमानुसार कार्यादेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक बीज प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद कार्यादेश स्वतः रद्द समझा जायेगा, तथा अन्य कृषकों का नियमानुसार चयन किया जायेगा।

4.1.5 सहायक निदेशक उद्यान द्वारा क्लस्टरवार कैम्प लगाकर सम्बद्ध एजेंसी/आपूर्तिकर्ता से DBT in kind के तहत् चयनित कृषकों को ससमय बीज की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा। बीज प्राप्ति के समय जियो टैग सेल्फी फोटोग्राफ संबंधित कर्मी एवं आपूर्तिकर्ता के साथ कराया जायेगा।

4.2 गरमा मौसम में हाईब्रिड सब्जी का बीज वितरण :–

4.2.1 गरमा मौसम में **मिर्च, बैगन एवं लौकी** के गुणवत्तायुक्त हाईब्रिड बीज का वितरण अनुदानित दर पर चिन्हित 13 जिला यथा–**भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, किशनगंज, नालन्दा, पटना पूर्णियाँ, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण** में फसलवार लक्ष्य के आलोक में किया जायेगा।

4.2.2 **मिर्च, बैगन एवं लौकी** का न्यूनतम रकवा 0.25 एकड़ के गुणक में अधिकतम 1 हेक्टेयर तक स्वीकृति दी जायेगी।

4.2.3 चयनित कृषको को स्वीकृत रकवा के अनुसार अनुदानित दर पर बीज की उपलब्धता **DBT in kind** विकल्प के तहत् विशिष्ट दिशा–निर्देश में **कंडिका 4.1.3, 4.1.4 एवं 4.1.5** के अनुसार किया जायेगा।

5. आलू बीज वितरण :– इस घटक के तहत् स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 100 हेक्टेयर एवं वित्तीय लक्ष्य 94.50 लाख (चौरानवे लाख पचास हजार) रूपये है।

इस घटक के तहत् आलू से चिप्स बनाने हेतु अनुशंसित प्रभेद **कुफरी चिपसोना** की खेती को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक किसानों को बीज अनुदानित दर पर दिया जायेगा। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, पटना से संसूचित मूल्य दर 4200.00 (चार हजार दो सौ) रू0 प्रति क्वि0/वास्तविक मूल्य, दोनों में जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

आलू की खेती हेतु अनुशंसित बीज दर 30 क्वींटल प्रति हेक्टेयर @ 4200 (चार हजार दो सौ) रूपये प्रति क्वींटल की दर से बीज का मूल्य 1,26,000.00 (एक लाख छब्बीस हजार) रूपये पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान 94,500.00 (चौरानवे हजार पाँच सौ) रूपये अथवा वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत, दोनो में जो कम होगा, देय होगा।

5.1 आलू बीज का वितरण रबी मौसम में लक्षित जिला **नालन्दा एवं पटना** में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आलोक में प्रति हेक्टेयर बीज दर के तहत् किया जायेगा।

5.2 चयनित कृषको को स्वीकृत रकवा के अनुसार अनुदानित दर पर बीज की उपलब्धता DBT in kind के तहत् **कंडिका 4.1.3, 4.1.4 एवं 4.1.5** के अनुसार किया जायेगा।

6. **कार्यक्रम हेतु आवश्यक बीज की उपलब्धता** :—

फसलवार बीज नियमानुसार बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। DBT In Kind कृषक सम्बद्ध आपूर्तिकर्ता से अपना OTP देकर गुणवत्तायुक्त बीज प्राप्त करेगें। किसानों से प्राप्त OTP को App. में Upload कर Bill Generate किया जायेगा, तथा भुगतान हेतु Generated Bill (कृषकों से हस्ताक्षारित) की एक प्रति सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय में तथा एक प्रति लाभुक कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राप्त Bill एवं वितरण के समय का जियो टैग फोटोग्राफ के आधार पर नियमानुसार बीज की अनुदानित राशि CFMS के माध्यम से संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को भुगतान किया जायेगा। क्षेत्र सत्यापन के क्रम में बीज की गुणवत्ता से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जबावदेही आपूर्तिकर्ता एजेंसी को होगी।

7. अवयववार योजना का कार्यान्वयन क्लस्टर में कराने का प्रयास किया जायेगा, इस हेतु संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रखंड/पंचायत को चिन्हित किया जायेगा, तथा चिन्हित प्रखंड/पंचायत मे हीं योजना का कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जायेगा।

8. सब्जियों के बिचड़ा को आवश्यकतानुसार COE चंडी, नालन्दा से OTP के आधार पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राधिकृत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के

माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा एवं सब्जियों का बिचड़ा COE चंडी, नालन्दा से जिला तक पहुँचाने में परिवहन पर होने वाली व्यय, आवश्यकतानुसार मुख्यालय/जिला में आवंटित मिशन प्रबंधन मद् से किया जायेगा।

9. वेजफेड समूह एवं जीविका के कृषकों का आवेदन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चिन्हित क्लस्टर के तहत् ही किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

मखाना विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–68 दिनांक 05.09.2023 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद् से 1081.965 लाख (दस करोड़ एकासी लाख छियानवे हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर मखाना विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 कुल दो वर्षों के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मखाना की खेती का क्षेत्र विस्तार करना, उन्नत प्रभेदों का बीज उत्पादन करना, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना, पारंपरिक बीजों को उन्नत प्रभेदों से प्रतिस्थापित कर मखाना के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के अनुसूची – 1 एवं 2 के आलोक में राज्य के कुल 10 जिलों यथा–कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया में किया जाना है।

इस योजना अन्तर्गत मखाना के उन्नत प्रजाति (स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना–1) का बीज उत्पादन, बीज वितरण कार्यक्रम, मखाना का क्षेत्र विस्तार (खेत प्रणाली), मखाना भण्डार गृह, प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजना का प्रचार–प्रसार एवं आकस्मिकता की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में उक्त घटकों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश निम्नवत् है :–

1. **मखाना के उन्नत प्रजाति (स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना–1) का बीज उत्पादन–** इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 100 हेक्टेयर तथा वित्तीय लक्ष्य 72.75 लाख (बहत्तर लाख पचहत्तर हजार) रूपये है।

1.1 इस घटक अन्तर्गत खेत प्रणाली से मखाना उत्पादन करने वाले बड़े किसानों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादन के लिए सभी आवश्यक उपादानों का लाभ Package के रूप में देकर उन्नत प्रभेद के बीज (स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना–1) का उत्पादन कराया जायेगा।

1.2 मखाना बीज उत्पादन हेतु कुल उत्पादन लागत मूल्य, 97,000/– (सन्तानवे हजार) रूपये प्रति हे० का 75 प्रतिशत 72,750/– (बहत्तर हजार सात सौ पचास) रूपये अनुदान देय है। सहायतानुदान दो किस्तों– पहली किस्त 4,050.00 (चार हजार पचास) रूपये प्रति हे०, उन्नत प्रभेद के बीज हेतु (माह जनवरी–फरवरी 2024) तथा दूसरी किस्त, खेत में फसलों का पूर्ण आच्छादन, पुष्पण, जो अप्रैल 2024 से मई 2024 के बीच होता है, के पश्चात् 68,700 (अड़सठ हजार सात सौ) रूपये प्रति हे० दिया जायेगा।

1.3 एक किसान को न्यूनतम 0.1 हे० एवं अधिकतम 4 हे० का लाभ देय होगा।

1.4 लाभुक को दूसरी किस्त का भुगतान मखाना आच्छादित खेत के साथ लियें गये Geo tagged Photogragh को ऑनलाईन अपलोड करने के उपरांत ही संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

1.5 उत्पादित बीजों का उपयोग यथासंभव अगले वित्तीय वर्ष में बीज वितरण कार्यक्रम हेतु किया जायेगा।

1.6 बीजों की अधिप्राप्ति राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (मखाना), दरभंगा एवं भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया द्वारा अनुशंसित प्रभेद का बीज किसानों को सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

2. **बीज वितरण कार्यक्रम** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 1000 हेक्टेयर एवं वित्तीय लक्ष्य 40.50 लाख (चालीस लाख पचास हजार) रूपये है।

इस घटक अन्तर्गत वैसे किसान, जो देशी प्रभेद की खेती करते है, को उन्नत प्रभेद का बीज **(स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना–1)** उपलब्ध दिसम्बर 2023 में कराया जायेगा। निर्धारित बीज मूल्य 5400.00 (पाँच हजार चार सौ) रू0 का 75 प्रतिशत 4,050.00 (चार हजार पचास) रू0 प्रति हे० की दर से सहातानुदान दिया जायेगा। एक किसान को न्यूनतम 0.1 हे० एवं अधिकतम 4 हे० का बीज का सहायता उपलब्ध कराया जायेगा। इस घटक के अन्तर्गत किसानो को मात्र बीज/बीज की राशि ही दिया जायेगा।

3. **मखाना का क्षेत्र विस्तार (खेत प्रणाली)** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 1000 हेक्टेयर एवं वित्तीय लक्ष्य 727.50 लाख (सात करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार) रूपये है।

इसके अन्तर्गत इच्छुक किसान, जो पहली बार खेत प्रणाली से मखाना की खेती करने को इच्छुक है, का चयन किया जायेगा। मखाना की खेती (खेत प्रणाली) के लिए निर्धारित इकाई लागत 0.97 लाख (सन्तानबे हजार) रूपये/हेक्टेयर है, जिसमें बीज सहित अन्य इनपुट तथा Harvesting तक की राशि शामिल है, का 75 प्रतिशत 72,750.00 (बहत्तर हजार सात सौ पचास) रू0 प्रति हे0 की दर से सहातानुदान देय है। संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभुक किसान के द्वारा पूर्व में मखाना की खेती नही की गयी हो। एक किसान को न्यूनतम 0.1 हे० एवं अधिकतम 4 हे० का लाभ देय होगा।

उपरोक्त दोनों घटक यथा – बीज वितरण कार्यक्रम एवं मखाना का क्षेत्र विस्तार (खेत प्रणाली) हेतु कृषकों को **सबौर मखाना–1** का बीज भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया तथा **स्वर्ण वैदेही** का बीज राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (मखाना), दरभंगा से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा दिसम्बर माह तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **मखाना भण्डार गृह** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 20 इकाई एवं वित्तीय लक्ष्य 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रूपये है। इस घटक अंतर्गत 5 MT क्षमता वाले मखाना भंडार गृह का निर्माण विभागीय प्राक्कलन एवं नक्शा के आधार पर किसानों द्वारा कराया जायेगा। प्राक्कलन की राशि अथवा अधिकतम 10.00 लाख (दस लाख) रूपये का 75 प्रतिशत 7.5 लाख रूपये दो किस्तों में, पहली किस्त, लिंटर तक निर्माण होने उपरान्त 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार) रूपये तथा शेष 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपये मखाना भंडार गृह का कार्य पूर्ण होने के उपरांत सहायतानुदान के रूप में नियमानुसार दिया जायेगा।

   इस घटक का लाभ वैसे मखाना उत्पादक कृषकों को दिया जायेगा, जो पूर्व के दो वर्षों से न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर रकवा में मखाना की खेती करते आ रहे हों।

5. **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– इस घटक का स्वीकृत भौतिक लक्ष्य 2000 एवं वित्तीय लक्ष्य 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये है।

   राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा–निर्देश के आलोक में प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रशिक्षण 1000.00 (एक हजार) रू0 व्यय कर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (मखाना), दरभंगा एवं भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया के सहयोग से संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा इस योजना हेतु चयनित कृषकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

6. **योजना का प्रचार–प्रसार** : – इस घटक का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये है। मखाना को बिहार राज्य के विशिष्ट उत्पाद के रूप में राज्य एवं राज्य से बाहर विभिन्न माध्यमों से मखाना का प्रचार–प्रसार उद्यान निदेशालय द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु स्वीकृत राशि का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

7. **आकस्मिकता** :– इस मद में स्वीकृत राशि 21.215 लाख (इक्कीस लाख इक्कीस हजार पाँच सौ) रूपये का उपयोग योजना के कार्यान्वयन की आकस्मिकताओं हेतु किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

चाय विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2024–25 तक दो वर्षों के लिए कुल 495.083 लाख (चार करोड़ पन्चानवे लाख आठ हजार तीन सौ) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 402.458 लाख (चार करोड़ दो लाख पैतालीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या – पी.पी.एम.–80/2023–80, दिनांक–13.09.2023 के द्वारा दी गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किशनगंज जिला के इच्छुक कृषकों को चाय की खेती एवं क्षेत्र विस्तार एवं मौजूदा चाय बागान के प्रबंधन हेतु आवश्यक सहायतानुदान देकर चाय के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में योजना का कार्यान्वयन हेतु घटकवार अनुदेश निम्नवत् है :–

1) **चाय का नया क्षेत्र विस्तार :** चाय का नया क्षेत्र विस्तार अवयव अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 150 हेक्टेयर निर्धारित है। इस घटक अन्तर्गत चाय की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर 15556 पौधे लगाने हेतु जमीन की समतलीकरण, गड्ढे का निर्माण, पौध रोपण सामग्री, समेकित पोषण प्रबंधन एवं समेकित कीट–व्याधि प्रबंधन, शष्य क्रियाएं इत्यादि पर व्यय होने वाली कुल लागत राशि 4.94 लाख (चार लाख चौरानवे हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर का 50 प्रतिशत 2.47 लाख (दो लाख सैतालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है, जो दो किस्तों (75:25) में दी जायेगी। प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख (दो लाख सैतालीस हजार) रूपये का 75 प्रतिशत 1.8525 लाख (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास) रूपये प्रथम किस्त के रूप में चाय के कुल पौध रोपण के उपरांत वित्तीय वर्ष 2023–24 में तथा द्वितीय किस्त के रूप में पूर्व वर्ष में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रति हेक्टेयर शेष देय 25 प्रतिशत 0.6175 लाख (एकसठ हजार सात सौ पचास) रूपये का भुगतान किया जायेगा। इस योजना के तहत् कृषकों को न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर एवं अधिकतम 04 हेक्टेयर का लाभ दिया जा सकेगा।

2) मौजूदा चाय बागान एवं नया क्षेत्र विस्तार के प्रबंधन के लिए निम्नांकित हॉर्टिकल्चर यंत्रों को इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

a) **प्रूनिंग मशीन** :– इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रूनिंग मशीन की स्वीकृत कीमत 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 60,000.00 (साठ हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।

b) **मेकैनिकल हार्वेस्टर** :– इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। मेकैनिकल हार्वेस्टर की स्वीकृत कीमत 1.00 लाख (एक लाख) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 50,000.00 (पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।

c) **प्लकिंग शियर** :– इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्लकिंग शियर की स्वीकृत कीमत 22,000 (बाईस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 11,000.00 (ग्यारह हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।

d) **लीफ कैरेज व्हेकिल** :– इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 4 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। लीफ कैरेज व्हेकिल की स्वीकृत कीमत 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50

प्रतिशत/अधिकतम 7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।

e) **लीफ कलेक्शन शेड** :– इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। लीफ कलेक्शन शेड की स्वीकृत कीमत 0.75 लाख (पचहत्तर हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 37,500.00 (सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।

f) **पॉवर स्प्रेयर मशीन तथा ब्रश कटर** मशीन को इच्छुक कृषक आवश्यकतानुसार कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत OFMAS पोर्टल पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं।

g) **प्लास्टिक क्रेट्स** एवं **नायलन बैग** हेतु इच्छुक कृषक आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत उद्यान निदेशालय के वेबसाईट पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं।

3) योजना की शत–प्रतिशत उपलब्धि सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

पान विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – पी०पी०एम०–79/2023–86 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 सं 2024–25 तक दो वर्षों में कुल 491.385 लाख (चार करोड़ एकानवे लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर पान विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पान की खेती माह – अप्रैल से प्रारंभ होकर मई–जून तक की जाती है। अप्रैल माह में खेती प्रारम्भ होने के पूर्व इस योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों का चयन करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों का चयन विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त कर किया जाना है। इसलिए कृषकों का चयन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह – फरवरी–मार्च में किया जाना आवश्यक है ताकि इच्छुक कृषकों को अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 के अप्रैल, मई एवं जून में खेती हेतु आवश्यक सहायतानुदान उपलब्ध करायी जा सके। उक्त कारण से ही इस योजना का कार्यान्वयन दो वित्तीय वर्षों 2023–24 एवं 2024–25 में किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निम्नवत् है :–

1) इस योजनान्तर्गत राज्य के पान उत्पादक 06 (छः) जिलों नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा एवं वैशाली में मगही एवं देशी दोनों प्रकार के पान उत्पादन के लिए सहायतानुदान दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए FPC के सदस्य एवं व्यक्तिगत कृषक दोनों आवेदन कर सकते हैं।

2) इस योजनान्तर्गत प्रति कृषक को न्यूनतम 100 वर्गमीटर (0.01 हे०) से लेकर अधिकतम 300 वर्गमीटर (0.03 हे०) तक का लाभ दिया जायेगा, जिसके अनुसार प्रति कृषक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम 11,750/– (ग्यारह हजार सात सौ पचास) रूपये एवं अधिकतम 35,250/– (पैंतीस हजार दो सौ पचास) रूपये सहायतानुदान दिया जायेगा।

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में सत्यापनोपरांत माह अप्रैल से अगस्त तक आवेदक कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से सहायतानुदान उनके खाते में अंतरित किया जायेगा।

3) योजनान्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि का उपयोग निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर योजना के प्रचार–प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा।

4) इस योजनान्तर्गत परिवार के किसी एक ही सदस्य को योजना का लाभ देय होगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

एकीकृत उद्यान विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से एकीकृत उद्यान विकास योजना (Integrated Horticulture Development Scheme) का वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल 1086.21636 लाख (दस करोड़ छियासी लाख इक्कीस हजार छः सौ छत्तीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या–पी०पी०एम०–15/2020–67 दिनांक 05.09.2023 द्वारा दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्वर्ती फसल के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर किसान के आय में वृद्धि करना है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1 के आलोक में किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत घटकवार अनुदेश निम्नवत् है :–

1. **अन्तर्वर्त्ती फसल कार्यक्रम** :– इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य के 12 जिलों यथा – अररिया, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णियाँ, सारण, सिवान एवं सुपौल में कराया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत कृषकों को बगीचे के अन्दर एक तिहाई (0.36 हे०) भाग मे ओल, हल्दी एवं अदरख की खेती के लिए कृषकों को उपरोक्त फसलों के बीज पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान दिया जायेगा। कृषकों के बीज क्रय हेतु वास्तविक व्यय की गयी राशि या राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित फसल (ओल, हल्दी एवं अदरख) के बीज हेतु निर्धारित राशि में से जो कम होगा उक्त राशि का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रतिपूर्त्ति किया जायेगा।

   1.2 ओल :– इस घटक की इकाई लागत राशि 0.82 लाख (बेरासी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिस पर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से 0.41 लाख (एकतालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त दिया जायेगा।

   1.2 हल्दी :– इस घटक की इकाई लागत राशि 0.223 लाख (बाईस हजार तीन सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिस पर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से 0.1115 लाख (ग्यारह हजार एक सौ पचास) रूपये प्रति हेक्टेयर कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त दिया जायेगा।

   1.3 अदरख :– इस अवयव की इकाई लागत राशि 0.76 लाख (छिहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिस पर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से 0.38 लाख (अड़तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर कृषकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में सत्यापनोपरान्त दिया जायेगा।

   उपरोक्त तीनों अन्तर्वर्त्ती फसलों का लाभ प्रति किसान न्यूनतम 0.5 एकड़ एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए दिया जायेगा। योजनान्तर्गत न्यूनतम 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

2. **प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम** :– इस घटक अन्तर्गत अन्तर्वर्त्ती फसल कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य बागवानी मिशन से संबंधित विभिन्न घटकों को चिन्हित कर प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से किसानों का चयन कर जिलावार लक्ष्य अनुरूप प्रशिक्षित कराया

जायेगा। राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। राज्य में अवस्थित दोनों सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के नजदीक के जिले प्रशिक्षण हेतु दोनों सेन्टर का उपयोग कर उपरोक्त सेन्टर में प्रशिक्षण का आयोजन कर विभिन्न घटकों की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करा सकेंगे।

3. **सेमिनार / कार्यशाला / कॉनफ्रेंस** :– इस अवयव अन्तर्गत 04 (चार) सेमिनार / कार्यशाला / कॉन्फ्रेंस लक्ष्य के अनुरूप सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, चण्डी एवं देसरी द्वारा कराया जायेगा।
4. **आकस्मिकताएँ**:– इस मद में स्वीकृत राशि 31.29836 लाख (एकतीस लाख उन्नतीस हजार आठ सौ छत्तीस) रूपये का उपयोग योजना के प्रचार–प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक उद्यान के निदेशानुसार किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

सात निश्चय–2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकूप योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश।

इस योजना को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 113, दिनांक 27.09.2023 द्वारा 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों के न्यूनतम 1 एकड़ के समूह को ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर नलकूप उपलब्ध कराया जाना है। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में स्वीकृत्यादेश की अनुसूची–2 के अनुसार नलकूप छिद्रण हेतु 1200.00 (एक हजार दो सौ) रूपये प्रति मीटर का 80 प्रतिशत 960.00 (नौ सौ साठ) रूपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 70 मीटर के लिए सभी कोटि के किसानों को अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 5 HP का इलेक्ट्रीक सबमर्सिबल पम्प की अधिकतम मूल्य 30,000.00 (तीस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य, दोनों में से जो कम होगा, का 80 प्रतिशत प्रति समूह अनुदान देय होगा। समूह का कोई सदस्य इस योजना का लाभ सात साल के बाद ही दोबारा ले सकेंगे।

2. समूह के सभी किसान आपस में बैठकर समूह के अध्यक्ष का चयन करेंगे तथा चयन से संबंधित कार्यवाही की प्रति को आवेदन के समय अपलोड करेंगे।
3. समूह के सभी किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा तथा कार्यादेश निर्गत के उपरांत संबंधित समूह द्वारा स्वयं बोरवेल का कार्य कराया जायेगा।
4. बोरवेल के लिए समूह के किसी एक अथवा एक से अधिक किसानों द्वारा 7 फीट X 8 फीट जमीन समूह के नाम से एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा के समय यह शर्त रहेगा कि जबतक बोरवेल कार्यरत रहेगा तबतक उक्त जमीन पर हक समूह की होगी, जिसका उपयोग समूह के सभी सदस्य के हित में किया जायेगा। न्यूनतम 7 वर्षो तक बोरवेल का समूह द्वारा संचालन अनिवार्य होगा तत्पश्चात् बोरवेल अकार्यरत होने पर जमीन का हक पुनः जमीन मालिक को वापस होगा।
5. यह योजना केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिह्नित अति दोहित एवं संकटपूर्ण (critical & over exploited) पंचायतों को छोड़कर की जायेगी।
6. सामूहिक नलकूप योजना अन्तर्गत संचालन हेतु इलेक्ट्रीक सबमर्सिबल पम्प (स्टार्टर सहित) अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। नलकूप हेतु विद्युत से संबंधित कार्य का पूर्ण दायित्व समूह का होगा।
7. योजना अन्तर्गत गठित समूह अपने सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा। योजना का कार्यान्वयन पर समूह स्वयं शत्–प्रतिशत राशि व्यय करेगी तथा कराये गये कार्य के जाँचोंपरांत अनुदान का भुगतान समूह के बैंक खाता में DBT के माध्यम से किया जायेगा।

योजना अन्तर्गत अधिष्ठापित होने वाली नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर है परंतु क्षेत्र विशेष में भूमि जल स्तर 70 मीटर से अधिक होने पर शेष

आवश्यक राशि का वहन/भुगतान किसान समूह द्वारा स्वयं किया जायेगा परंतु नलकूप की गहराई 70 मीटर से कम होने पर वास्तविक गहराई के अनुसार ही अनुदान देय होगा।

8. नलकूप की गहराई एवं सबमर्सिबल पम्प की जाँच संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
9. नलकूप अधिष्ठापन उपरांत संबंधित जिला के WDT (Engg. Expert)/ATM (Agri. Engg.)/BTM (Agri. Engg.)/Agriculture Coordinator (Agri. Engg.) या जिला बागवानी समिति के अध्यक्ष की अनुमति से जिला के किसी भी अन्य कनीय अभियंता मापीपुस्त का अभिलेखन करने हेतु प्राधिकृत रहेंगे तथा मापीपुस्त को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा अभिलेख के साथ संधारित किया जायेगा।
10. समूह का कोई सदस्य इस योजना का लाभ सात साल के बाद ही दोबारा ले सकेंगे।
11. सामूहिक नलकूप हेतु गठित समूह निम्न कागजातों के साथ MIS पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/PMKSYMI/default.aspx पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
    क) सर्वप्रथम समूह के अध्यक्ष/किसानों द्वारा कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधन करना।
    ख) प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापित समूह के गठन के बैठक से संबंधित कार्यवाही।
    ग) ग्रुप के अध्यक्ष का नाम
    घ) समूह के सभी सदस्यों द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति के अधिष्ठापन हेतु अपने अंश की राशि जमा करने का प्रमाण पत्र।
    च) नलकूप के समूह के नाम से एकरारनामा कागजात की प्रति (रूपये 1000 के स्टाम्प पर)।
    छ) ग्रुप के किसानों का नाम, पंजीकरण संख्या एवं ड्रिप सिंचाई के Reference No.(MI No.)
    ज) नलकूप अधिष्ठापन हेतु भूमि का थाना संख्या, खाता, खेसरा एवं रकवा दर्ज करना।
12. ग्रुप द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन को Submit करने पर Reference No. Create होगा जिसे ग्रुप द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। यह Reference नं० ग्रुप के अध्यक्ष मोबाईल पर SMS के रूप में जायेगा। इस नंम्बर के आधार पर ग्रुप अपना आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकतें हैं।
13. सहायक निदेशक उद्यान आवेदन में दर्ज की गयी सूचना एवं कागजात का भौतिक सत्यापन स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा करायेंगे तथा 7 दिनों के अन्दर आवेदन को Accept अथवा Reject करेंगे तदनुसार कार्यादेश निर्गत होगा। आवेदन Reject करने की स्थिति में संबंधित ग्रुप को उनके द्वारा Reject करने का कारण सहित सूचना SMS किया जायेगा।

14. अधिष्ठापन करने के पूर्व, यंत्र अधिष्ठापन के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा नलकूप स्थल का उत्तर–पूर्व कोने से लिया गया जियोटैग फोटोग्राफ समूह के सभी सदस्य की उपस्थिति में लेना अनिवार्य होगा तथा कराये गये कार्य का विपत्र MIS में अपलोड करने से पूर्व समूह के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

15. सामूहिक नलकूप योजना अन्तर्गत संचालन हेतु इलेक्ट्रीक समरसेबूल पम्प (स्टार्टर सहित) अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। नलकूप कार्यरत् होने एवं पानी का प्रवाह निकलने पर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। साथ ही नलकूप की गहराई एवं सबमर्सिबल पम्प की जाँच संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

योजना का भौतिक सत्यापन प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी शत्–प्रतिशत करेंगे, सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत तथा प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान इस योजना के कुल संख्या का पाँच प्रतिशत रैण्डम भौतिक सत्यापन करेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन निदेशक उद्यान को उपलब्ध करायेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान द्वारा इस योजना का कुल अधिष्ठापन का एक प्रतिशत का रैण्डमाइजेशन करते हुये भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम मद से मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कुल 2446.920 लाख (चौबीस करोड़ छियालीस लाख बानवें हजार) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृत्यादेश संख्या–पी०पी०एम०–43/2023–109 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1 के आलोक में किया जाना है। योजनान्तर्गत मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता, मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निम्नवत है :–

1. **मधुमक्खी बक्सा (Honey Bee Colony)** :– इस अवयव अन्तर्गत इच्छुक किसानों को मधुमक्खी बक्सा, जिसकी इकाई लागत 2000.00 (दो हजार) रूपये है, पर सामान्य कोटि के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान प्रति बक्सा 1500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान प्रति बक्सा 1800.00 (एक हजार आठ सौ) रूपये अनुदान दिया जायेगा। प्रति किसान न्यूनतम 10 बक्सा अधिकतम 50 बक्सा दिया जायेगा।

2. मधुमक्खी छत्ता **(Honey Bee Hives) :-** इस अवयव अन्तर्गत इच्छुक किसानों को मधुमक्खी छत्ता, जिसकी इकाई लागत 2000.00 (दो हजार) रूपये है, पर सामान्य कोटि के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान प्रति छत्ता 1500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान प्रति छत्ता 1800.00 (एक हजार आठ सौ) रूपये अनुदान दिया जायेगा। प्रति किसान न्यूनतम 10 छत्ता अधिकतम 50 छत्ता दिया जायेगा।

3. **मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर (Honey Extractor/Food Grade Container) :-** इच्छुक किसानों को मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर, जिसकी इकाई लागत 20000.00 (बीस हजार) रूपये है, पर सामान्य कोटि के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान प्रति मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर 15000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान प्रति मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर 18000.00 (अठारह हजार) रूपये अनुदान दिया जायेगा। इस घटक का लाभ योजनान्तर्गत मधुमक्खी बक्सा घटक के लाभार्थियों को ही दिया जायेगा। प्रति 100 मधुमक्खी बक्सा पर एक मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर दिया जायेगा।

4. इस योजनान्तर्गत जीविका समूह/सदस्यों को उपरोक्त तीनों घटकों का लाभ स्वीकृत्यादेश की अनुसूची–3 के आलोक में उपरोक्तवत् दिया जायेगा। जीविका से लक्ष्य अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला के किसानों के बीच शेष लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयन कराया जायेगा।

5. **योजनान्तर्गत स्वीकृत घटक अन्तर्गत वितरित की जाने वाली उपादानों की विशिष्टतायें निम्नवत होंगी :–**

(क) मधुमक्खी बक्सा/कॉलोनी (8 फ्रेम)

आकार : लम्बाई – 20 ¼ इंच, चौड़ाई –16 ¼ इंच

बॉटम बोर्ड, ब्रूड चेंबर, हनी/सुपर चैंबर, क्वीन एक्सक्लूडर, इनर कवर, टॉप कवर, 8 फ्रेम बॉक्स, स्टैंड (जमीन से 4 इंच ऊँचा), अन्य सहायक उपयोगी उपकरणों का सेट सहित।

(ख) मधुमक्खियों के छत्ते

रानी, ड्रोन और वर्कर्स के साथ आठ फ्रेम।

सभी आठ फ्रेमों की भीतरी दीवार मधुमक्खियों और ब्रूड्स से पूरी तरह से ढ़की होनी चाहिए मोम– 1 किग्रा०,

बक्से के लिए स्टैण्ड 4 इंच ऊँचा

उपकरणों का सेट सहित

(ग) शहद निष्कासन यंत्र सह फूड ग्रेड कंटेनर 2 की संख्या में।

शहद निकालने वाला यंत्र – स्टेनलेस स्टील से बना तथा चार मैन्युअल रूप से संचालित होने वाला

साईज : लम्बाई – 36 इंच, चौड़ाई 30 इंच

खाद्य ग्रेड कंटेनर – 30 किग्रा० (2 की संख्या में)

6. योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता कम्पनियों/फर्मों का चयन निविदा के माध्यम से एवं वास्तविक इकाई लागत राशि बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों/फर्मों के माध्यम से न्यूनतम निविदित दर पर उनका पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकरण उपरांत आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों/फर्मों की क्षमता अनुरूप जाँचोपरान्त जिलावार कार्य हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

फसल विविधीकरण योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – पी०पी०एम०–62/2023–110 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा राज्य स्कीम मद से चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी.पी.आर.) के अन्तर्गत फसल विविधीकरण योजना के अधीन सुगन्धित एवं औषधीय पौधे तथा शुष्क बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2024–25 तक दो वर्षों के लिए कुल 1402.50 लाख (चौदह करोड़ दो लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 612.00 लाख (छः करोड़ बारह लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

फसल विविधीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में फसल विविधीकरण अन्तर्गत सुगन्धित एवं औषधीय पौधों तथा शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु किसानों को सहायतानुदान देकर जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल पद्धति विकास के लिए बेहतर विकल्प प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना है। सुगन्धित एवं औषधीय पौधे तथा शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार से विशेषकर दक्षिण बिहार में वर्षा आश्रित एवं अव्यवहृत भूमि का सदुपयोग हो पायेगा एवं हरित आवरण में बढ़ोत्तरी होगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में योजना कार्यान्वयन हेतु घटकवार अनुदेश निम्नवत् है :–

क) सुगन्धित एवं औषधीय पौधों का क्षेत्र विस्तार

1) इस घटक के अन्दर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 500 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्य एवं 382.50 लाख (तीन करोड़ बेरासी लाख पचास हजार) रूपये वित्तीय लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2) फसल विविधीकरण योजना के अन्तर्गत सुगन्धित एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन चयनित जिलों यथा – गया, जमुई, नवादा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, वैशाली में कराया जायेगा।

3) सुगन्धित एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार हेतु सहायतानुदान :– इस घटक के अधीन चयनित फसल लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, सतावरी एवं खस है। उक्त फसलों का सहायतानुदान 75,000/– (पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुरूप है। जिसका भुगतान प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन के अनुशंसा के उपरांत एकमुश्त दी जायेगी।

4) सुगंधित एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार के लिए न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर का लाभ दिया जायेगा।

5) योजना के कार्यान्वयन हेतु पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता कृषक द्वारा स्वयं अथवा सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस, देसरी, वैशाली/विभागीय/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान संस्थान/केन्द्रीय एजेंसी/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक्रीडिटेड नर्सरी से अथवा ई–निविदा के द्वारा चयनित योग्य एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा। कृषक in cash/Cash in kind प्रक्रिया द्वारा सहायतानुदान का लाभ ले सकते हैं।

6) इस योजनान्तर्गत कृषकों के आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण की जायेगी। चयनित कृषकों को सुगंधीय एवं औषधीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सत्यापन एवं जाँचोपरान्त कृषकों को सहायतानुदान की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

चयन हेतु आवेदन आदि की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण की जायेगी जबकि भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषकों को सहायतानुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण की जायेगी।

7) आकस्मिकता मद का उपयोग निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर योजना के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में किया जायेगा।

ख) शुष्क बागवानी फसलों का क्षेत्र विस्तार

1) इस घटक के अन्दर कुल 2000 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 612.00 लाख (छः करोड़ बारह लाख) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में 408.00 लाख (चार करोड़ आठ लाख) रूपये कुल 1020.00 लाख (दस करोड़ बीस लाख) रूपये वित्तीय लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2) फसल विविधीकरण योजना के अन्तर्गत शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन चयनित जिलों यथा – गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास में कराया जायेगा।

3) शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु सहायतानुदान :– इस घटक के अधीन चयनित फसल आँवला, बेल, इमली, कटहल है। इसके अन्तर्गत शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रति हेक्टेयर कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर सहायतानुदान देने का प्रस्ताव है, जो दो किस्तों 60:40 के अनुपात में प्रथम वर्ष 30,000/– (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय वर्ष 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 में द्वितीय किस्त का भुगतान प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी स्तर से सत्यापन द्वारा प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधों में से 75 प्रतिशत जीवित पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा।

4) शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर एवं न्यूनतम 05 पौधों का लाभ दिया जायेगा।

5) योजना के कार्यान्वयन हेतु पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस, देसरी, वैशाली/विभागीय/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान संस्थान/केन्द्रीय एजेंसी/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक्रीडिटेड नर्सरी से अथवा ई–निविदा के द्वारा चयनित योग्य एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा। कृषक in cash/Cash in kind प्रक्रिया द्वारा सहायतानुदान का लाभ ले सकते हैं।

6) उद्यान संभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.No. 33-4/2020-MIDH (AAP) दिनांक 05.04.2021 के अनुसार कृषक शुष्क बागवानी फसलों को खेत के मेड़ पर भी लगा सकते हैं, जिसके लिए अनुदान की गणना पौधों की संख्या के आधार पर की जायेगी। सामान्य घनत्व के लिए पौधों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

क्र० सं०	शुष्क बागवानी फसल	सामान्य घनत्व पौधों की संख्या/हे०
1	आँवला	400
2	बेल	100
3	इमली	100
4	कटहल	100

उदाहरणस्वरूप – यदि कृषक 10 पौधा इमली/कटहल/बेल का लगाते हैं तो अनुदान की गणना हेतु रकवा 0.10 हेक्टेयर माना जायेगा जबकि 10 पौधा आँवला के लिए 0.025 हेक्टेयर माना जायेगा।

7) शुष्क बागवानी तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधे के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लाभुक कृषकों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

8) आकस्मिकता मद का उपयोग निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर योजना के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में किया जायेगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

137

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०– /पटना, दिनांक – 2024

शुद्धि–पत्र

कृषि विभाग के चतुर्थ कृषि रोड मैप राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत विशिष्ट कार्यान्वयन अनुदेश पत्र संख्या–NHM/BHDS/236/2023-3136/ दिनांक–22 दिसम्बर, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 अंतर्गत स्वीकृत सामान्य कार्यान्वयन अनुदेश के चाय विकास योजना के विशिष्ट कार्यान्वयन अनुदेश के अंतर्गत कंडिका–2 के (a), (b), (c) में संशोधन किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

कंडिका संख्या	कार्यान्वयन अनुदेश की स्वीकृत कंडिका	संशोधित कंडिका
कंडिका–2 के (a),	प्रूनिंग मशीन–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रूनिंग मशीन की स्वीकृत कीमत 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 60,000.00 (साठ हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।	प्रूनिंग मशीन–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रूनिंग मशीन की स्वीकृत कीमत 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 60,000.00 (साठ हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।
कंडिका–2 के (b),	मेकैनिकल हार्वेस्टर–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। मेकैनिकल हार्वेस्टर की स्वीकृत कीमत 1.00 लाख (एक लाख) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 50,000.00 (पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।	मेकैनिकल हार्वेस्टर–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। मेकैनिकल हार्वेस्टर की स्वीकृत कीमत 1. 00 लाख (एक लाख) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 50,000. 00 (पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।
कंडिका–2 के (c),	प्लकिंग शियर–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 हेक्टेयर में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्लकिंग शियर की स्वीकृत कीमत 22,000 (बाईस हजार) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 11,000.00 (ग्यारह हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।	प्लकिंग शियर–इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक जो न्यूनत्तम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्लकिंग शियर की स्वीकृत कीमत 2,200 (बाईस सौ) रूपये या वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 1,100.00 (ग्यारह सौ) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा। एवं एक आवेदक अधिकतम 20 प्लकिंग शियर हेतु आवेदन कर सकते है।

3. उक्त स्वीकृत विशिष्ट कार्यान्वयन अनुदेश पत्र संख्या–NHM/BHDS/236/2023-3136/ दिनांक–22 दिसम्बर, 2023 वित्तीय वर्ष 2023–24 अंतर्गत स्वीकृत सामान्य कार्यान्वयन अनुदेश के चाय विकास योजना के विशिष्ट कार्यान्वयन अनुदेश के अंतर्गत कंडिका–2 के (a), (b), (c) को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेगी।

Fripathi

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०— /पटना, दिनांक — 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०— /पटना, दिनांक — 2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०— /पटना, दिनांक — 2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०— /पटना, दिनांक — 2024

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/215/2023पी०पी०एम०— /पटना, दिनांक — 2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य (योजना),बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/सभी उप निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एंव कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकरी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।